74

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध
(स्वीकार किये गये)

22/12/ 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, (शक) 1944

विषय सूची

		पृष्ठ
	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
	प्रतिवेदन	1-3
	परिशिष्ट -एक आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों का सारांश दर्शाने वाला विवरण जिन पर समिति (2021-2022) द्वारा 04 जुलाई, 2022 को विचार किया गया।	4-7
	परिशिष्ट- दो से सोलह	
	<u>आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)</u>	
II.	'विद्युत प्रशुल्क' विषय के संबंध में दिनांक 24.11.2016 का अता.प्र.सं.1399	8-9
III.	'केन्द्रीय निवेश' विषय के संबंध में दिनांक 03.02.2021 का अता.प्र.सं.359	10-11
IV.*	'सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र' विषय के संबंध में दिनांक 12.12.2019 का ता.प्र.सं. 343	12-15
V.	(i) 'समेकित ऊर्जा नीति' विषय के संबंध में दिनांक 07.05.2015 का अता.प्र.सं. 6810 (ii) 'नई ऊर्जा नीति' विषय के संबंध में दिनांक 02.08.2018 का ता.प्र.सं.237	16-21
VI.	'स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986' विषय के संबंध में दिनांक 28.06.2019 का अता.प्र.सं.1303	22-24
VII.	'रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत' विषय के संबंध में दिनांक 04.05.2016 का अता.प्र.सं.1628	25-28
VIII.	विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक,2021 के संबंध में दिनांक 19.03.2021 की सामान्य चर्चा	29-39
IX.	'ओबीसी को केन्द्रीय सूची में शामिल करना' विषय के संबंध में दिनांक 03.03.2020 का अता.प्र.सं.1927	40-44

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन **14.12.22** को सभा पटल पर रखा गया।

X.	'एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास' विषय के संबंध में दिनांक 05.12.2019 का अता.प्र.सं.2953	45-47
XI.	'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' विषय के संबंध में दिनांक 19.07.2019 का ता.प्र.सं.385 (श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	48-57
XII.	'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' विषय के संबंध में दिनांक 27.04.2016 का ता.प्र.सं.45 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	58-69
XIII.	'परती भूमि विकास कार्यक्रम' विषय के संबंध में दिनांक 11.08.2011 ता.प्र.सं.164 (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	70-84
XIV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) की 04 जुलाई, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	85-88
XV.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की 20 दिसम्बर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।	89-90
XVI.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-22) की संरचना	91

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री अशोक महादेवराव नेते
8. श्री संतोष पान्डेय
9. श्री एम.के. राघवन
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
13. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम.बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम.सी.गुसा - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2022-2023) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का यह 74वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं ।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 04 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञापन संख्या 107 से 126 पर विचार किया जिनमें 22 लंबित आश्वासनों को छोड़ने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध शामिल किए गए हैं और 13 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया।

3. समिति (2022-2023) ने अपनी 20 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति की उपर्युक्त बैठकों के कार्यवाही सारांश इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

नई दिल्ली;
29 दिसम्बर, 2022
29 अग्रहायण, 1944(शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन

सभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अथवा विधेयकों, संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्री मामले पर विचार करने, कार्रवाई करने अथवा बाद में किसी तिथि को सभा में जानकारी देने का आश्वासन, वचन देते हैं अथवा वायदा करते हैं। किसी आश्वासन को संबंधित मंत्रालय द्वारा तीन माह की अवधि में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है। यदि मंत्रालय किसी भी आधार पर आश्वासन को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति से उस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध करना चाहिए और ऐसे अनुरोधों पर समिति उनके गुण-अवगुण के आधार पर विचार करती है और आश्वासन छोड़ने अथवा न छोड़ने का निर्णय लेती है।

2. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) ने 04 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में 22 लंबित आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों संबंधी बीस ज्ञापनों (परिशिष्ट-एक) पर विचार किया।

3. मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए कारणों पर समिति विचार करने के बाद संतुष्ट हुई और उन्होंने निम्नलिखित 13 आश्वासनों को छोड़ने का निर्णय लिया:

क्रम सं	ता.प्र.सं. /अता.प्र.सं. और दिनांक	मंत्रालय	विषय
1.	अता.प्र.सं. 1399 दिनांक 24.11.2016	विद्युत	विद्युत प्रशुल्क (परिशिष्ट-दो।)
2.	अता.प्र.सं. 359 दिनांक 03.02.2021	नीति आयोग	केंद्रीय निवेश (परिशिष्ट-तीन)
3. *	ता.प्र.सं.343 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (परिशिष्ट-चार)
4.	(i) अता.प्र.सं. 6810 दिनांक 07.05.2015	नीति आयोग	(i) समेकित ऊर्जा नीति

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं	ता.प्र.सं. /अता.प्र.सं. और दिनांक	मंत्रालय	विषय
	(ii) ता.प्र.सं.237 दिनांक 02.08.2018		(ii) नई ऊर्जा नीति (परिशिष्ट-पाँच)
5.	अता.प्र.सं. 1303 दिनांक 28.06.2019	महिला और बाल विकास	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (परिशिष्ट-छः)
6.	अता.प्र.सं. 1628 दिनांक 04.05.2016	रेल	रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत (परिशिष्ट-सात)
7.	दिनांक 19.03.2021 को विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर सामान्य चर्चा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा (परिशिष्ट-आठ)
8.	अता.प्र.सं. 1927 दिनांक 03.03.2020	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना (परिशिष्ट-नौ)
9.	अता.प्र.सं. 2953 दिनांक 05.12.2019	आवासन और शहरी कार्य	एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास (परिशिष्ट-दस)
10.	ता.प्र.सं.385 दिनांक 19.07.2019 (श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	महिला और बाल विकास	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (परिशिष्ट-ग्यारह)
11.	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016 (श्री	अल्पसंख्यक मामले	स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया

क्रम सं	ता.प्र.सं. /अता.प्र.सं. और दिनांक	मंत्रालय	विषय
	असदुद्दीन ओवैसी, मध्य प्रदेश द्वारा अनुपूरक)		(परिशिष्ट-बारह)
12.	ता.प्र.सं. 164 दिनांक 11.08.2011 (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	ग्रामीण विकास (भूमि संसाधन विभाग)	परती भूमि विकास कार्यक्रम (परिशिष्ट-तेरह)

4. उपर्युक्त 13 आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए कारणों तथा उत्तरों से उत्पन्न आश्वासनों का ब्यौरा परिशिष्ट दो से तेरह में दिया गया है।

5. समिति की 04 जुलाई, 2022 को हुई बैठक जिसमें आश्वासनों को छोड़ने संबंधी अनुरोधों पर विचार किया गया था, का कार्यवाही सारांश परिशिष्ट–चौदह में दिया गया है।

नई दिल्ली;

20, दिसम्बर, 2022

29, अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेन्द्र अग्रवाल
सभापति
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

परिशिष्ट- एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)

आश्वासन को छोड़ने के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों जिन पर समिति द्वारा 04 जुलाई, 2022 को विचार किया गया, का सारांश दिखाने वाला विवरण

क्रम सं.	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
1	107	ता.प्र.सं.144 दिनांक 02.07.2019 (श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	उपभोक्ता मामले विभाग	एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री करना
2	108	अता.प्र.सं. 3725 दिनांक 25.08.2011	विधि और न्याय	विधिक कार्य विभाग	अधिवक्ता अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट
3	109	अता.प्र.सं. 1399 दिनांक 24.11.2016	विद्युत		विद्युत प्रशुल्क
4	110	अता.प्र.सं. 359 दिनांक 03.02.2021	नीति आयोग		केन्द्रीय निवेश
5	111	अता.प्र.सं. 4030 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना
6 *	112	ता.प्र.सं.343 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र

* कार्यान्वयन प्रतिवेदन 14.12.2022 को सभा पटल पर रखा गया।

क्रम सं.	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
7	113	(i) अता.प्र.सं. 6810 दिनांक 07.05.2015 (ii) ता.प्र.सं.237 दिनांक 02.08.2018	नीति आयोग		(i) समेकित ऊर्जा नीति (ii) नई ऊर्जा नीति
8	114	(i) ता.प्र.सं.109 दिनांक 03.03.2016 (ii) अता.प्र.सं. 3705 दिनांक 03.01.2019	विद्युत		(i) विद्युत अधिनियम, 2003 का कारगर कार्यान्वयन (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन
9	115	दिनांक 15.12.2014 को डॉ. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ओर ध्यानाकर्षण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम
10	116	अता.प्र.सं. 4057 दिनांक 05.09.2012	कोयला		स्पेशल पर्पज व्हीकल
11	117	अता.प्र.सं. 1303 दिनांक 28.06.2019	महिला और बाल विकास		स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

क्रम सं.	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
12	118	अता.प्र.सं. 1628 दिनांक 04.05.2016	रेल		रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत
13	119	दिनांक 19.03.2021 को विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर सामान्य चर्चा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा
14	120	अता.प्र.सं. 2844 दिनांक 10.07.2019	रेल		मुम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली
15	121	अता.प्र.सं. 1927 दिनांक 03.03.2020	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	ओबीसी को केन्द्रीय सूची में शामिल करना
16	122	ता.प्र.सं.9 दिनांक 19.07.2021	जनजातीय कार्य		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
17	123	अता.प्र.सं. 2953 दिनांक 05.12.2019	आवासन और शहरी कार्य		एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास
18	124	ता.प्र.सं.385 दिनांक 19.07.2019 (श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	महिला और बाल विकास		किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

क्रम सं.	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय	विभाग	संक्षिप्त विषय
19	125	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	अल्पसंख्यक मामले		स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया
20	126	ता.प्र.सं. 164 दिनांक 11.08.2011 (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	ग्रामीण विकास		परती भूमि विकास कार्यक्रम

परिशिष्ट- दो

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 109

विषय: "विद्युत प्रशुल्क" से संबंधित दिनांक 24.11.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 1399 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 24 नवंबर 2016 को एडवोकेट जोएस जॉर्ज, संसद सदस्य ने विद्युत मंत्री से "विद्युत प्रशुल्क" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 1399 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा विद्युत मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में विद्युत मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. संख्या 28(एल)/20/2016 आर एंड आर दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) ने सूचित किया है कि कोयले की चालान प्रक्रिया विदेशों में स्थित मध्यस्थ फर्मों के माध्यम से की गई है। डी आर आई ने आगे सूचित किया है कि विदेशी प्रशासनों के लिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों के लिए उपलब्ध साधनों के दायरे में विदेश से साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को देखते हुए समय लेने वाला है। इसके परिणामस्वरूप, जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने, विद्युत राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है ।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली:
दिनांक: 28/06/2022

अनुबंध

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1399

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

1399. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इण्डोनेशिया से आयातित कोयले के ज्यादा बिल से विद्युत खर्च की कृत्रिम महंगाई पर कोई जांच प्रारंभ की है;

(ख) सरकार ने इस अधिक बिल बनाने की अवैध प्रक्रिया जो निर्बाध चल रही है को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या किसी स्वतंत्र सलाहकार के अध्ययन में कुछ प्रमुख कंपनियों में गंभीर धोखाधड़ी पायी गई है;

(घ) क्या सरकार को विद्युत प्रशुल्क के बिल को बढ़ाकर बनाने की जानकारी है क्योंकि विद्युत प्रशुल्क में कृत्रिम वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाला जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विद्युत विनियामक आयोगों को उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के कार्य सौंपे गए हैं। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि राज्यों के भीतर उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत यदि उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसी को इसकी आपूर्ति की जाती है तो उपयुक्त आयोग प्रशुल्क का निर्धारण करता है जबकि अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत यदि ऐसे प्रशुल्क का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है तो उपयुक्त आयोग प्रशुल्क अपनाता है। उत्पादन कंपनी तथा वितरण कंपनियों के बीच संबंध विद्युत क्रय करारों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। इसलिए, इस संबंध में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) से (ङ) : राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इंडोनेशिया से आयातित कोयले के संबंध में बिल को बढ़ाकर भेजने के दृष्टांत उनके ध्यान में आए हैं और फील्ड फार्मेशनों को उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्व में किए गए आयातों की जाँच की जा रही है।

****

परिशिष्ट- तीन

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 110

विषय: "केंद्रीय निवेश" से संबंधित दिनांक 03.02.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 359 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 03 फरवरी 2021 को श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य ने योजना मंत्री से "केंद्रीय निवेश" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 359 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा योजना मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में नीति आयोग ने अपने का.ज्ञा. संख्या 17(1)/2021-आई व एम (आई) दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"वित्त मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे उपरोक्त जानकारी/इनपुट प्रदान करें। तथापि, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रश्न के संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित है कि भारत सरकार का वित्त बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है और इसका उपयोग उन योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जिनकी प्रकृति विविध होती है। इसके अलावा, बजट को पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय निवेश के संबंध में बजट में कोई वर्गीकरण नहीं है। केंद्रीय निवेश शब्द अस्पष्ट है और माननीय संसद सदस्य के लिए इसके लिए आंकड़े प्राप्त करना कठिन है। यह प्रश्न पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय निवेश के लिए भी पूछता है। सामान्यतया, केंद्रीय मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को निधि प्रदान करते हैं जो आगे जिलों को आवंटित करते हैं। इसलिए, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य द्वारा किए जाने वाले अंतर-जिला आवंटन का कारण केंद्रीय स्तर पर पता लगाना मुश्किल है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, नीति आयोग (आर्थिक एवं वित्त) ने योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

नई दिल्ली:

दिनांक: 28/06/2022

अनुलग्नक

भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 359

दिनांक 03.02.2021 को उत्तर देने के लिए

केंद्रीय निवेश

359. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में, आज की तिथि के अनुसार केंद्र द्वारा वर्ष-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) वे कौन-से राज्य हैं जिनमें अन्य राज्यों की तुलना में कम निवेश किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय

तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है।

*****

परिशिष्ट- ३/१२

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 112

विषय: "सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र" सम्बंधी दिनांक 12.12.2019 के तारांकित प्रश्न सं. 343 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य ने जल शक्ति मंत्री से "सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र" संबंधी तारांकित प्रश्न सं. 343 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्नों के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने अपने दिनांक 24.01.2022 के का.ज्ञा.फा.सं. एन-24011/01/2021/17-19 के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"उपर्युक्त संसदीय प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते हुए, इस मंत्रालय ने उस समय आईएसबीआईजी की नई प्रस्तावित योजना की स्थिति की जानकारी दी। यह भी बताया गया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद घोषित योजना को लागू किया जाएगा। इस बीच, कैबिनेट सचिवालय ने अपने पत्र संख्या 771/4/4/2018-कैब दिनांक 2 जुलाई, 2021 के माध्यम से सूचित किया है कि सिंचाई अंतर पाटन हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) अब इस सचिवालय के विचाराधीन नहीं है।"

4. उपरोक्त स्थिति में, जल शक्ति राज्य मंत्री के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:- 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुल-दो

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *343

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र

*343. **श्री हनुमान बेनीवाल:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टिगत किसानों को लाभान्वित करने के लिये कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन कार्यक्रम (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत नागौर तथा जोधपुर जिलों में सिंचित क्षेत्र विकसित करने हेतु केन्द्र सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विकसित किये गये सिंचित क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा "सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र" के संबंध में दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) इस मंत्रालय के तहत कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से सतत आधार पर सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाने और कृषि उत्पादन में सुधार करने की दृष्टि से शुरू किया गया है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम इस समय देश में 99 एआईबीपी प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय राजस्थान की दो परियोजनाएं नामत: गंग नहर चरण-।। और नर्मदा नहर परियोजना को भारत सरकार के चल सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाता है। उक्त दोनों परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना नागौर और जोधपुर जिलों को लाभान्वित नहीं करती है।

इस समय सीएडीडब्ल्यूएम निर्माण कार्य का क्षेत्र पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकीकृत परियोजनाओं तक सीमित है। अन्य परियोजनाओं के तहत कमान क्षेत्र की कवरेज के लिए मंत्रालय द्वारा एक नई स्कीम नामत: "सिंचाई अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहनात्मक स्कीम" (आईएसबीआईजी) प्रस्तावित की गई है और इस समय सरकार के अनुमोदन हेतु इस पर कार्रवाई की जा रही है। आईएसबीआईजी की प्रस्तावित स्कीम के तहत राजस्थान की 13 परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

(ग) वर्ष 2016-17 से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम देश में 99 एआईबीपी की प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। एआईबीपी की 99 प्राथमिकीकृत परियोजनाओं में से राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर अभी तक 18 राज्यों की 88 परियोजनाओं को सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन शामिल परियोजनाओं के अनुसार, 8186 करोड़ रुपये की केन्द्र य सहायता से 44.34 लाख हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2016-19 के दौरान केन्द्र य सहायता के रूप में 2380.242 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अनुलग्नक-। में दिए गए राज्य वार ब्यौरों के अनुसार 13.43 लाख हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र को विकसित किया गया है।

******

अनुलग्नक -I

"सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र" के संबंध में दिनांक 12.12.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 343 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान सीएडी डब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत राज्य वार वास्तविक प्रगति
(राज्य सरकार की सूचना के अनुसार शामिल सीसीए)

क्षेत्र हजार हेक्टयर में

ब्र.स	राज्य के नाम				
		2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.000	0.00	0.00
2	असम	0.000	0.000	14.25	14.25
3	बिहार	2.245	5.492	4.00	11.74
4	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.00	0.00
5	गोवा	0.010	0.010	0.77	0.79
6	गुजरात	385.282	290.060	260.27	935.62
7	जम्मू एवं कश्मीर	0.000	0.000	1.28	1.28
8	झारखण्ड	0.000	0.000	0.00	0.00
9	कर्नाटक	11.075	10.954	8.90	30.93
10	केरल	0.000	0.000	0.00	0.00
11	मध्य प्रदेश	74.935	85.060	50.05	210.04
12	महाराष्ट्र	7.634	16.557	33.69	57.88
13	मणिपुर	0.000	0.000	5.03	5.03
14	ओड़िशा	10.470	24.340	20.36	55.17
15	राजस्थान	6.863	7.224	7.08	21.17
16	तेलगांना	0.000	0.000	0.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**498.51**	**439.70**	**405.67**	**1343.88**

*****

परिशिष्ट- पाँच

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. 113

विषय: (एक) "समेकित ऊर्जा नीति" सम्बंधी दिनांक 07.05.2015 के अतारांकित प्रश्न सं. 6810 और (दो) "नई ऊर्जा नीति" सम्बंधी दिनांक 02.08.2018 के तारांकित प्रश्न सं. 237 के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 7 मई, 2015 को श्री नागेंद्र कुमार प्रधान, डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री राहुल शेवाले, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री कलिकेश एन. सिंह देव और श्रीमती ज्योति धुर्वे, संसद सदस्यों ने विद्युत मंत्री से "समेकित ऊर्जा नीति" के संबंध में अतारांकित प्र. सं. 6810 और दिनांक 2 अगस्त, 2018 को श्री भोला सिंह और श्री डी.एस. राठौड़, संसद सदस्यों ने "नई ऊर्जा नीति" के संबंध में तारांकित प्रश्न सं. 237 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्नों के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा विद्युत मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बाद में उपर्युक्त आश्वासनों को नीति आयोग स्थानांतरित कर दिया गया।

3. इस संबंध में, नीति आयोग ने अपने दिनांक 14.01.2022 के का.ज्ञा.सं. पी-11026/11/2018-पीईटी के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) पर एक मसौदा कैबिनेट नोट परामर्श हेतु 19 मार्च, 2020 को कैबिनेट सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट सचिवालय ने दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के का.ज्ञा. सं. 511/2/2/2/2019-कैब के माध्यम से अपनी टिप्पणी दी है, जो इस प्रकार है:

"यह देखा गया है कि इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ एक एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय के सृजन की परिकल्पना की गई है जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भूमिकाएं समाहित हो जाएंगी। इसके अलावा, एक संक्रमणकालीन संरचना अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का भी प्रस्ताव दिया गया है, जब तक कि एकीकृत तरीके से ऊर्जा संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना नहीं की जाती है।

चूंकि मंत्रालयों/विभागों के एकीकरण/सृजन/पुनर्गठन और मंत्रिमंडल की समिति के गठन से संबंधित मामलों में भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, *1961* (एओबी नियम) और भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, *1961* (टीओबी नियम) में संशोधन की आवश्यकता है और ऐसे प्रस्तावों पर हितधारक मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/एकीकृत ऊर्जा नीति के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि, एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/एकीकृत ऊर्जा नीति का कार्यान्वयन संभव नहीं है।"

4. उपरोक्त स्थिति में, योजना राज्य मंत्री (आई/सी) के अनुमोदन से इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:- 28/06/2022
नई दिल्ली:

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-6810

जिसका उत्तर 07 मई, 2015 को दिया जाना है ।

समेकित ऊर्जा नीति

6810. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री राहुल शेवालेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री कलिकेश एन. सिंह देवः

श्रीमती ज्योति धुर्वेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सौर, पवन, गैस और कोयला सहित ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति में मदद हेतु समेकित ऊर्जा नीति अपनाने पर विचार रखती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और उक्त नीति किस प्रकार बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में सभी हितधारकों से परामर्श किया है या करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में नई ऊर्जा नीति के कब तक लागू होने और इसे अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सरकार द्वारा वर्ष 2008 में समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट (आईईपीआर) का अनुमोदन किया गया था। उक्त नीति के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की गई तथा बहुत सी सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

09 जून, 2014 को संसद में राष्ट्रपति के संबोधन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) जारी करने की इच्छा का उल्लेख किया गया था, के अनुसरण में, नीति आयोग ने सौर, पवन, गैस तथा कोयले सहित ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए पणधारियों से परामर्श करके राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

****

अनुबन्ध-दो

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-237

जिसका उत्तर 02 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

नई ऊर्जा नीति

*237. श्री भोला सिंहः

श्री डी.एस. राठौड़ः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के लिए कोई नई ऊर्जा नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2040 तक ऊर्जा की मांग के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस बढ़ती मांग को किस तरह पूरा करने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"नई ऊर्जा नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 237 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ङ) : (i) नीति आयोग राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनईपी) तैयार कर रहा है।

(ii) पूर्ववर्ती एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) की उपलब्धियों के आधार पर एनईपी तैयार की जाती है तथा विश्व ऊर्जा में उभरते हुए विकास जैसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित हस्तक्षेपों की सुपरिभाषित भूमिका के अनुरूप नया एजेंडा निर्धारित करती है। एनईपी ऊर्जा दक्षता, सब्सिडी एवं कर संरचना, ऊर्जा अभिशासन, अनुसंधान एवं विकास तथा वायु गुणवत्ता सरोकारों का भी समाधान करती है। एनईपी के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, नामत: आनुपातिक मूल्यों पर पहुँच, उन्नत सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, अधिक धारणीयता एवं आर्थिक विकास और बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को दक्षतापूर्वक पूरा करके भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मक को बढ़ाना है।

(iii) नीति आयोग द्वारा तैयार एनईपी का प्रारूप अक्तूबर, 2017 में अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों के साथ-साथ नीति आयोग में आगे विचार-विमर्श के आधार पर एनईपी का संशोधित प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दिनांक 16 जून, 2018 को पुन:परिचालित किया गया है। संशोधित प्रारूप पर टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् एनईपी का प्रारूप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) अक्तूबर, 2017 में परिचालित एनईपी के प्रारूप में वर्ष 2040 तक ऊर्जा मांग का आंकलन निहित है। तत्पश्चात्, यह महसूस किया गया था कि वर्ष 2040 तक का दीर्घावधि आंकलन से वर्तमान में अस्थिर और अप्रत्याशित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक अनिश्चितताएं होंगी जो नीति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। तदनुसार, एनईपी की समय-सीमा को वर्ष 2030 तक प्रतिबंधित कर दी गई हो जो इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी) के साथ सिंक्रोनाइज भी किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक ऊर्जा मांग का विस्तृत आंकलन **अनुबंध** में दिया गया है।

(v) प्रारूप एनईपी के अनुसार, सरकार बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को निम्नलिखित तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव करती है:

(क) उपयुक्त पॉलिसी फ्रेमवर्क के सक्षमीकरण द्वारा घरेलू उत्पादन/आपूर्ति को बढ़ाना।
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अधिकतम संदोहन।
(ग) मांग में कमी करने और बेहतर ऊर्जा संरक्षण के लिए वर्धित दक्षता उपाय।
(घ) ऊर्जा के वैकल्पिक घरेलू स्रोतों को बढ़ाना।

****

अनुबंध

"नई ऊर्जा नीति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.08.2018 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 237 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा मांग

(बिलियन यूनिट में)

क्षेत्र	2017	2030	
	अनुमान	सामान्य परिदृश्य के रूप में कारोबार	महत्वाकांक्षी परिदृश्य
भवन	358	992	798
उद्योग	3,113	5844	5329
परिवहन	1252	2621	2347
पम्प और ट्रैक्टर	317	590	504
टेलीकॉम	105	174	153
कुकिंग	922	548	472
कुल	6,067	10,769	9,603

****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 117

विषयः "इनडिसेन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहीबिशन) अधिनियम, 1986" विषय से संबंधित दिनांक 28.06.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 1303 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

*****

28 जून, 2019 को श्री गोपाल शेट्टी, संसद सदस्य ने महिला और बाल विकास मंत्री से "इनडिसेन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहीबिशन) अधिनियम, 1986" संबंधी अतारांकित प्रश्न सं. 1303 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 01 नवम्बर, 2021 के का.ज्ञा. सं. डब्ल्यूडब्लयू-15021/13/2019-डब्ल्यूडब्लयू (इ-80964) के माध्यम से निम्नवत बताया:-

"प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में स्त्री अशिष्ट रूपण को वर्तमान में विभिन्न अधिनियमों जैसे 'भारतीय दंड संहिता', 1860 (धारा 292-293)', 'प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (धारा 13, 14)'; केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (नियम 6 और 7) के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता'; 'भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए संहिता (अध्याय II)'; 'ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल द्वारा सामग्री प्रमाणन कोड (थीम 2- सेक्स, अश्लीलता और नग्नता);' "न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ऐसोसिएशन (एनबीए) द्वारा स्व-विनियमन दिशानिर्देश" के तहत विनियमित किया जाता है। बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया (ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री) सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्त्री अशिष्ट रूपण को भी शामिल किया गया। चूंकि, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में स्त्री अशिष्ट रूपण का ध्यान रखने के लिए पहले से ही विभिन्न कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं, इसलिए इस स्तर पर आईआरडब्ल्यूए में संशोधन आवश्यक नहीं है।

आगे यह बताया जाता है कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर "इनडिसेन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहीबिशन) अधिनियम, 1986" को राज्य सभा से वापस लेने की अनुमति दी गई थी। यह बात 26 जुलाई, 2021 के राज्य सभा बुलेटिन के माध्यम से बताई गई है। इस प्रकार, दिनांक 28.06.2019 के लोक सभा के अतारांकित प्र.सं. 1303 के उत्तर की विषय वस्तु, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कानून अर्थात् इनडिसेन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमन (प्रोहीबिशन) अधिनियम, 1986, के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक नया विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है, अब वैध नहीं है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

दिनांक:- 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुबंध

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1303
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

1303. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : जी हां । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र में हाल ही में हुई तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑडियो-विजुअल् मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को शामिल करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नए सिरे से विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ।

*****

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 118

विषय: "रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत के खपत" विषय से संबंधित दिनांक 04.05.2016 के अतारांकित प्रश्न सं. 1628 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

दिनांक 04 मई, 2016 को श्रीमती आर. वनरोजा और श्री के. परसुरमन, संसद सदस्यों ने रेल मंत्री से "रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत के खपत" विषय के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 1628 पूछा। प्रश्नों की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा रेल मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. रेल मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 फरवरी, 2018 के का.ज्ञा. सं. 2016/ईंधन/443/6 के माध्यम से निम्लिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया था:-

> "त्वरित विद्युतीकरण के साथ, कार्यशील डीजल लोकोमोटिव बेड़े में भारी कमी होने की उम्मीद है। तदनुसार, आईआर की एचएसडी खपत भी कम हो जाएगी। एचएसडी की कम खपत के साथ, अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर विभिन्न नियमों और विनियमों में संशोधन के इस विस्तृत प्रयास, जिसमें काफी समय लगने की उम्मीद है, की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।"

4. आश्वासन को छोड़ने के लिए उपरोक्त अनुरोध को समिति द्वारा 03 जनवरी 2020 को आयोजित उनकी बैठक में स्वीकार नहीं किया गया था। समिति ने तदनुसार 20 सितंबर, 2020 को अपनी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया और मंत्रालय से सिफारिश की कि वे समिति को इस मामले के निष्कर्ष/अंतिम परिणाम सहित इस संबंध में किए गए अध्ययन के विवरण से अवगत कराया जाए।

5. तथापि, रेल मंत्रालय ने दिनांक 09 जून, 2021 के 2016/ईंधन/443/6 पीटी(डीए) के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

"इस बीच, भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क में विद्युतीकरण को अपनाया है और 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। त्वरित विद्युतीकरण के साथ, कार्यशील डीजल लोकोमोटिव बेड़े में भारी कमी होने की उम्मीद है। तदनुसार, आईआर की एचएसडी खपत भी कम हो जाएगी। एचएसडी की कम खपत के साथ, अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर विभिन्न नियमों और विनियमों में संशोधन के इस विस्तृत प्रयास, जिसमें काफी समय लगने की उम्मीद है, की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत में, मंत्रालय ने रेल मंत्री के अनुमोदन से पुनः इस आश्वासन को छोड़ने का समिति से अनुरोध किया है।

समिति के पुनःविचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक:- 28/06/2022

नई दिल्ली:

अनुबंध

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1628
04.05.2016 को दिया जाने वाला उत्तर

रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत

1628. श्रीमती आर. वनरोजा:
श्री के. परसुरमन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे वार्षिक रूप से लगभग 2.8 बिलियन लीटर डीजल की खपत करता है जिसकी लागत 18000 करोड़ रुपए है और 17.5 बिलियन विद्युत युनिट खरीदने के लिए वार्षिक रूप से लगभग 12,000 करोड़ रुपए भी खर्च करता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अपने खर्चे को कम करने के लिए कच्चा तेल खरीदने तथा तेल शोधन क्षमता को पट्टे पर लेने की नीति पर विचार कर रही है जिससे डीजल के खर्चे में एक तिहाई कमी आ जाएगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) रेलवे विशेषकर उत्तर रेल द्वारा डीजल और विद्युत की खपत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

LSUSQ 4.5.16-R

रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत के संबंध में दिनांक 04.05.2016 को लोक सभा मे श्रीमती आर. वनरोजा और श्री के. परसुरमन द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1628 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख) : वर्ष 2014-15 के लिए, भारतीय रेल ने 16804.63 करोड़ रु. की लागत के 2.9 बिलियन लीटर डीजल की खपत की है और 18.24 बिलियन यूनिट इलैक्ट्रिकल ऊर्जा की खरीद के लिए 12316 करोड़ रु. का भुगतान किया है।

(ग) : जी हां।

(घ) : इसके पक्ष-विपक्ष का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के परिणाम के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) : निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) उन डीजल रेल इंजनों को बंद करना जिनकी रूकौनी 30 मिनट से अधिक समय लगने की संभावना हो।

(2) समुचित अनुरक्षण प्रक्रिया के लिए शेड के अधिकारियों और पर्यवेक्षक स्तर पर बाहर जाने वाले इंजनों की सुपर जांच।

(3) डीजल इंजनों पर सहायक बिजली इकाइयों की व्यवस्था।

*****

परिशिष्ट- आठ

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 119

विषय: संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

19 मार्च, 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत द्वारा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित आश्वासन दिया गया :-

"नमोशूद्र, पोंडरा और पांडु जातियों के अनुसूचित जाति में विलय का मुद्दा मेरे विभाग में विचाराधीन है। विचार करने के बाद, जो उचित प्रतीत होगा, हम करने जा रहे हैं।"

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) ने अपने का.ज्ञा. संख्या आर.एल-16014/9/2021-आर एल प्रकोष्ठ (ई ओ संख्या 45166) दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों की प्रथम सूची राष्ट्रपति के एक अधिसूचित आदेश द्वारा है। उक्त सूची में बाद में कोई भी समावेश, अपवर्जन और अन्य संशोधन अनुच्छेद 341 के खंड (2) के मद्देनजर केवल संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन पर विचार करने के लिए जून, 1999 में तौर-तरीके निर्धारित किए थे जिसे बाद में जून, 2002 में संशोधित किया गया, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं: -

i. अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची को संशोधित करने के लिए नृजातीविज्ञान की सहायता से पूरा प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार किया जाता है।

ii. इसके बाद प्रस्ताव को टिप्पणी मांगने के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के पास भेजा जाता है।

iii. आर जी आई द्वारा एक बार सहमत नहीं होने के प्रस्ताव को, आर जी आई की टिप्पणियों के आलोक में, उनके प्रस्ताव के और अधिक न्यायसंगतता की मांग करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वापस भेज दिया जाता है।

iv. यदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्ताव वापस प्राप्त होता है, और न्यायसंगतता के साथ, फिर से विचार के लिए आर जी आई को भेजा जाता है।

v. यदि प्रस्ताव पर दूसरी बार आरजीआई द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, तो इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से अस्वीकार/नामंज़ूर कर दिया जाता है।

vi. आरजीआई द्वारा सहमत प्रस्ताव को टिप्पणी करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन सी एस सी) के पास भेजा जाता है।

vii. आरजीआई या एनसीएससी द्वारा सहमत नहीं होने वाले प्रस्ताव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से अस्वीकार/नामंज़ूर कर दिया जाता है।

viii. ऐसे प्रस्ताव, जिन पर आर जी आई और एन सी एस सी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, को आगे एक विधेयक के रूप में संसाधित किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के तहत संसद द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाता है।

2. इस मंत्रालय ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा के दौरान कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि इसने केवल उस समय की तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख किया, जिसके तहत अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन हेतु प्रस्तावों पर कार्यवाही का प्रावधान था।

3. तौर-तरीकों में परिकल्पित अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने, बाहर करने और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रस्तावों की प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो अपना समय लेते हैं, जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों की सूची में कोई भी समावेश और अपवर्जन केवल संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) में निर्धारित किया गया है। अतः आश्वासन को अधिक समय तक लम्बित रखना उचित नहीं होगा।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28/06/2022

नई दिल्ली:

15.37 hrs.

CONSTITUTION(SCHEDULED CASTES) ORDER(AMENDMENT) BILL,2021

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : आप इस पर कुछ बोलेंगे।

प्रो. सौगत राय (दमदम): बोलने की क्या जरूरत है?

माननीय सभापति : संक्षेप में थोड़ा सा बोल देंगे।

श्री थावर चंद गहलोत: सभापति महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध सात जातियों, यथा – देवेन्द्रकुलथन, क्रम संख्या 17, कडयन, क्रम संख्या 26, कल्लादि, क्रम संख्या 28, कुडुम्बन, क्रम संख्या 35, पल्लन, क्रम संख्या 50, पन्नाडी क्रम संख्या 54 और वातिरियन क्रम संख्या 72, जातियों को समूहित देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरूनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरूवरूर और नागापट्टनम जिले के कड्डयन जाति के सदस्यों को जो अपने आपको प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हैं, को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक द्वारा न तो कोई जाति शामिल की जा रही है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है।

श्री थावर चंद गहलोत: माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर तेरह माननीय सदस्यगणों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, परंतु उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाया है।

मैं सबसे पहले विधेयक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर चर्चा करूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयक में सात जातियों को समाहित करके एक जाति के नाम जाना जाए, इस प्रकार का प्रावधान है। अभी यह अलग-अलग क्रम पर उल्लिखित हैं, इस विधेयक के पारित होने के बाद केवल दो क्रमांक पर उल्लिखित हो जाएंगी – क, प्रविष्टि **17** के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी- देवेन्द्रकुला वेलालर।

यह इन सात जातियों का एक नाम होगा, बाकी ये सात जातियां सम्मिलित होंगी। प्रश्न उठेगा कि जब एक जाति बना रहे हैं तो इन सात जातियों को विलोपित क्यों नहीं कर रहे। ये सात जातियां ऐसी हैं जिनके प्रमाण-पत्र अनेक वर्षों से बनाए गए, ये अमान्य न हों, इसलिए इन सात जातियों का उल्लेख ब्रैकेट में किया जाएगा। मुख्य जाति देवेन्द्रकुला वेलालर हो, इससे किसी को न तो कोई आर्थिक लाभ या हानि होगी, न सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा और न ही किसी और प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। केवल इन सात जातियों को देवेन्द्रकुला वेलालर नाम देने से सम्मान मिलेगा, ऐसी इन सारी जातियों के लोगों की भावना है।

कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कड्डयन जाति को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जातियां सम्मिलित रहेंगी। कल्लादी, कुडुम्बंन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरियन, ये सब जातियां तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएंगी।

प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों में कड्डयन जाति को इसी नाम से जाना जाएगा और बाकी पूरे तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएगी। इन पांच जिलों में इसी नाम से जानी जाएगी।

प्रविष्टि 28, 33, 49, 52 और 54 का लोप किया जाएगा। इन सात जातियों को क्रमांक 17 में सम्मिलित करने के कारण जिस क्रमांक में उल्लिखित है, वहां से विलोपित कर दिया जाएगा। केवल इस विधेयक में इतना प्रावधान है। इस विधेयक का सबने समर्थन किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अन्य मुद्दों के बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं उन मुद्दों का संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा। सबसे मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मादी जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने जो कहा उस पर लगातार अमल किया जा रहा है। इसके अनेक उदाहरण हैं और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन ऐतिहासिक निर्णयों के कारण सामाजिक समता और समरसता लाने में सहायता मिल रही है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है।

गुरजीत सिंह औजला जी ने उल्लेख किया था कि अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। राज्यों के नाम भी लिए और कहा कि यहां अत्याचार की संख्या बढ़ रही है। आप और यह सदन जानता है कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। राज्य इस पर कार्रवाई करते हैं। केंद्र की ओर से हम समय-समय पर राज्यों के साथ संपर्क करते हैं और जहां अपराध बढ़ते हैं उनसे बातचीत करके अपराधों को कम करने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। उस अत्याचार निवारण अधिनियम में कुछ खामियां महसूस हुईं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान वर्ष 2015 में उसमें संशोधन किया गया और 22-23 नए अपराध, जो पहले वाले कानून में नहीं थे, उनको जोड़कर इस कानून को मजबूत बनाने का काम किया गया है। उस कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय रोकने का प्रयास किया जाता है और जो अपराधी हैं, उनको दंड दिलाने का प्रयास किया जाता है। जो पीड़ित परिवार हैं, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। अपराधी को दंड दिलाकर उसको न्याय दिलवाने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसा करने के लिए हम समय-समय पर

वकील की सहायता भी देते हैं। कानूनी सहायता देने के लिए एक नहीं, अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2018 के अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। पहले बीच में एक कानून बन गया था कि बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाए, परन्तु, इस कानून में हमने सुधार किया कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी या जिसको वे नियुक्त करेंगे, उसके द्वारा जांच करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होगा, तो गिरफ्तारी भी होगी। इस प्रकार हमने कानून में सुधार करने की कोशिश की है।

उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उल्लेख किया है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, वह केंद्र प्रायोजित थी। परन्तु, उसके लिए एक फार्मूला था। उस फार्मूले के अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान था। यह कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान पहले वाली सरकारों में भी था और वर्तमान सरकार में भी है। अब हमने उसको चेंज कर दिया है। उस कमिटेड लायबिलिटी के माध्यम से, जो कमिटेड लायबिलिटी राज्यों की बनती थी, उसका परिणाम यह होता था कि कुछ राज्यों को केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिलता था, अभी स्थिति ऐसी आ गई थी कि 36 राज्यों में से आधे राज्यों को या तो कोई पैसा नहीं मिलता था या मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था। इसी कारण हमने एक फार्मूला बनाया। कई राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है, यह ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्र का कुछ हिस्सा हो। शिक्षा राज्य का विषय है। इसलिए, यह राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया कि 60 परसेंट केंद्र देगी और 40 परसेंट राज्य देगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि अभी तक हम जिस फार्मूले के आधार पर पैसा देते थे, उसमें साल भर में राज्यों को केवल एक हजार करोड़ रुपया देते थे। इस नए फार्मूले के कारण अब हम लगभग पांच हजार करोड़ एक साल में देना चालू कर देंगे। वह इसी साल से देना

चालू कर देंगे। मार्च तक हम कई राज्यों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। इस फार्मूले के आधार पर हम अगले पांच सालों में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये राज्यों को देने वाले हैं। इसके कारण चार करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से 35500 करोड़ से अधिक रुपये इस व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसका लगभग सभी राज्यों ने समर्थन किया है। अभी तक हमारे पास किसी भी राज्य से नकारात्मक जानकारी नहीं आई है।

उन्होंने यह भी कहा था कि सफाई कार्य करने वाले मजदूरों के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है। आजकल, जो सीवेज टैंक या नाली साफ करने का काम करते हैं, वे हाथों से करते थे । उसको कम करके यंत्रों के माध्यम से सफाई करने की कोशिश की जाएगी । कानून में संशोधन करके ऐसा प्रावधान भी बना दिया गया है। मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की इस सरकार में हर साल अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में बजट में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। पिछले साल 83,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस साल के बजट में 1,26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल विभाग के बजट में 8,207 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस साल 10,517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि मैंने बताया है कि बजट में निरंतर वृद्धि होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद दी जा रही है। माननीय रमुलु जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण किया जाए। उप-श्रेणीकरण करने वाला मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। पंजाब बनाम देवेन्द्र नाम के वाद के अंतर्गत इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा रहा है।

माननीय सभापति : अमर सिंह जी, आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं, आपको उनका उत्तर तो सुनना ही पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, माननीय सुनील दत्तात्रेय जी ने तमिलनाडु का मामला उठाया है। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मराठा आरक्षण का मामला भी विचाराधीन है। ओबीसी एक ऐसा वर्ग है, जिसकी राज्यों की सूची अलग है और केन्द्र की सूची अलग है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी निर्णय ले सकते हैं। उस पर केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह आरक्षण भी इसी प्रकार का है। इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और वह उस पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें राज्य ही पैरवी कर रहा है। हमें राज्य और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा रुख सकारात्मक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट हमसे इस विषय पर कोई जानकारी मांगेगी, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपील भी राज्य सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ही तरफ से पैरवी की जा रही है। इस प्रकार की कानून-व्यवस्था को राज्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है।

मैंने अत्याचार निवारण के बारे में बताया है। उप-श्रेणीकरण करने के बारे में विचार हो रहा है। परंतु आज की स्थिति में किसी उचित फोरम पर इस विषय पर कानूनी प्रावधान बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया है कि ओबीसी कैटेगरी में राज्यों की सूची अलग-अलग है। उसी प्रकार से प्रदेशों में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जातियां वर्गीकृत की गई हैं और उसका कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। जब इन जातियों का सर्वे हो रहा होगा, उस सर्वे के दौरान एक ही जाति कुछ क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न पाई गई होंगी, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है। कुछ जिलों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने गए होंगे, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में रखा गया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कई जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के भी सुझाव दिए हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विषय में एक नियम है। अगर राज्य सरकार किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में मिलाना चाहे या उससे विलोपित करना चाहे, तो वह एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी। केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव को

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) को भेजेगी। यदि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस पर यस करता है, तो हम वह प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजते हैं।

यदि आयोग उस पर सहमति देता है तो फिर सरकार उस पर विचार करती है। विचार करने के बाद कैबिनेट नोट बनता है। वह कैबिनेट में जाता है और अगर उसको कैबिनेट स्वीकृति देता है तो विधेयक के रूप में सदन में लाया जाता है और संसद उस पर निर्णय करती है। अभी कई मुद्दों को उल्लिखित करके मांग की गई कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद या तो निरस्त कर दिए गए हैं या विचाराधीन हैं। मेरे यहां पर जो विचाराधीन मामले हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ। कुछ जातियों के बारे में विचार-विमर्श जारी है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभी तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे प्रांतों में 26 जातियों को शामिल किया गया है। नमोशूद्र, पोंड्रा व पोंड्र जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाने का विषय है, जो मेरे विभाग में विचाराधीन है। विचार करने के बाद जैसा उचित लगेगा, वैसा हम करने वाले हैं। ओडिशा की एक जाति को रिमूव करने की बात है। Removal of area restriction in respect of Mangali caste, ये आयोग के पास है। इस पर अभी आयोग विचार कर रहा है। इस तरह से कर्नाटक की कुछ जातियां हैं, जिस पर आरजीआई स्तर पर विचार हो रहा है। इसी प्रकार से झारखण्ड की जाति पर आरजीआई विचार कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी जातियां हैं। बेलदार जाति को भी अनुसूचित जाति में मिलाने का मामला है। यह भी आरजीआई के पास है। अगर आरजीआई हमें सकारात्मक जवाब देगी तो हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे। इसके साथ ही साथ वीरेन्द्र कुमार जी ने अनुसूचित जातियों का राज्यवार विनिर्देश का एक मामला उठाया था। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है कि कुछ जातियों को किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। यह एक सच्चाई है और मैंने इसके बारे में बताया है। सन् 1950-55 के करीब जातियां बनी थीं और जब उनमें 5-6 बार संशोधन हुए तो उस

समय के सर्वे में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकलन किया गया था। उस आकलन के अनुसार जो जातियां अनुसूचित जाति के योग्य पाई गईं, उनको उसमें सम्मिलित किया गया। बाकी को ओबीसी या सामान्य में रखने की कोशिश की गई। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, वीरेन्द्र कुमार जी का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले में कुछ कास्ट्स को अनुसूचित जाति के हिसाब से माना जाता है तथा दूसरे जिलों में नहीं माना जा रहा है। एक ही राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति के हिसाब से उन्हें माना जाता है और कुछ दूसरे जिलों में माना नहीं जाता है। यह वीरेन्द्र जी का एक प्रश्न था।

श्री थावर चंद गहलोत : मैंने उसी का जवाब दिया है। मैं यदि स्पष्ट नहीं कर पाया तो फिर से दोहरा देता हूँ। सन् 1955 या 1950 के पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कैटेगरियां बनाने का जब सर्वे हुआ था तो उस समय उन जातियों का सामान्य स्तर उच्च था, आर्थिक स्तर उच्च था, जिस कारण से उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया। वही जाति अगर दूसरी जगह पर सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी थी, तो उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय उस समय की सरकार ने लिया था। आज भी जब इन जातियों को अनुसूचित जातियों में मिलाने के लिए प्रस्ताव आते हैं, तो आरजीआई उसी आधार को देखकर निर्णय करती है और अपनी राय देती है। उस समय जो आधार बना था, उसके आधार पर वह हमें यह कहती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है कि ऐसी स्थिति हर राज्य में है कि कोई जाति चार जिलों में अनुसूचित जाति है, छ: जिलों में ओबीसी है और बाकी जिलों में सामान्य वर्ग में है। ऐसा हर राज्य में है। इस दुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि अमुक जाति को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए या उसको हटाया जाए। प्रस्ताव आने के बाद, उसे हम आरजीआई को भेजते हैं और आरजीआई अगर सकारात्मक राय देती है, तो उसे हम संबंधित आयोग को भेजते हैं और अगर आयोग भी सकारात्मक राय देता है तो फिर वह सरकार के

पास आता है। सरकार कैबिनेट नोट बनाकर कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, उसे विधेयक का रूप देकर हम संसद में आते हैं और अंतिम निर्णय करने का अधिकार संसद को ही है। इस आधार पर निर्णय होता है।

महोदय, अब मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran – not present.

Shri Jasbir Singh Gill to move amendment No.3 to clause 2.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 4 and 5, -

for "excluding in the coastal areas of".

substitute "in the districts of". (3)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 3 moved by Shri Jasbir Singh Gill to clause 2 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

परिशिष्ट- दो

लोक सभा सचिवालय
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा
ज्ञापन सं. **121**

विषय: 'ओबीसी को केन्द्रीय सूची में शामिल करना' विषय से संबंधित दिनांक 03.03.2020 के अतारांकित प्रश्न सं. 1927 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

03 मार्च, 2020 को कुमारी शोभा कारान्दलाजे, संसद सदस्य ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से 'ओबीसी को केन्द्रीय सूची में शामिल करना' विषय से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 1927 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपने दिनांक 14.10.2021 के का.ज्ञा. सं. 16011/5/2020-बीसी-II के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियम के अंतर्गत, संविधान में तीन नए अनुच्छेद अर्थात 342क, 366(26 ग) और 338 ख को अंतःस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 338ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अब एक संवैधानिक आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 342-क सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी के रूप में जाना जाता है) की केंद्रीय सूची से संबंधित है और अनुच्छेद 366 (26ग) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

*"**342क.** (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संबंध में और जहां वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हे इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग समझा जाएगा।"*

(2) संसद, विधि द्वरा, किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को खंड(1) के अधीन निकली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वरा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3. अनुच्छेद 342क (1) के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति के आदेश से ओबीसीएस की मौजूदा केंद्रीय सूची को प्रकाशित किया जाना है। राष्ट्रपति के आदेश से सूची प्रकाशित होने के बाद ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में अधिक जातियों/समुदायों को शामिल करने के सभी अनुरोधों पर संसद द्वारा अनुच्छेद 342क (2) के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

4. राष्ट्रपति के आदेश से ओबीसी की मौजूदा केंद्रीय सूची प्रकाशित करने के लिए एक प्रारूप कैबिनेट नोट इस विभाग द्वारा 17.6.2019 को परिचालित किया गया था। तथापि, विधायी विभाग की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि त्रुटियों, भिन्नताओं और बेमेलों (एसईबीसी की मौजूदा केन्द्रीय सूची में पाई गई) को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुधारा जा सकता है, अंतिम मंत्रिमंडल नोट को मंत्रिमंडल के विचारार्थ नहीं भेजा जा सका। अनुच्छेद 342क के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाएं अंतिम होंगी और किसी भी अनुवर्ती अधिसूचना से बदली नहीं जाएंगी। इसलिए, प्रशासनिक मंत्रालय प्रस्तावित अधिसूचनाओं में संलग्न की जाने वाली अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय अत्यधिक सावधानी बरते।

5. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों (सीईएसओबी) के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की मौजूदा केन्द्रीय सूची में विसंगतियों का समाधान करने का कार्य आयोग को सौंपा जाए। इस आयोग का कार्यकाल वर्तमान में 31 जनवरी 2022 तक है। सीईएसओबी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुश्री जी रोहिणी, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), दिल्ली उच्च न्यायालय से हैं। तदनुसार, जनवरी 2020 के दौरान आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित जोड़ा गया था

"अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना।"

6. सीईएसओबी ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची का प्रकाशन सीईएसओबी की सूची में मौजूदा जातियों/समुदायों की सही वर्तनी को दर्शाने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रकाशित अंतिम सूची वर्तनी की गलतियों/विसंगतियों रहित हो और इससे वर्तनी में सुधार करने के लिए पुनः संसद जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

7. अनुच्छेद 342क (2) के अनुसार, केवल संसद के पास ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने या हटाने की शक्ति है। इस प्रयोजनार्थ, मौजूदा सूची को पहले अनुच्छेद 342 क (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश से पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य पिछड़े वर्गों की मौजूदा केन्द्रीय सूची की अधिसूचना मौजूदा जातियों/समुदायों (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) की सही वर्तनी के संबंध में रोहिणी आयोग (सीईएसओबी) की सिफारिशे न मिलने के कारण नहीं की गई है। इन अनिश्चितताओं के कारण, अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में जातियों/समुदायों को भविष्य में शामिल करने के प्रक्रिया को अंतिम रूप देना संभव नहीं हो पाया है।

8. उपर्युक्त से, यह सराहना की जा सकती है कि अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची (कर्णाटक के कुंचितिगा समुदाय को शामिल करने के संबंध में वर्तमान मामले सहित) में जातियों/समुदायों को शामिल करने के लिए सभी लंबित अनुरोधों पर संसद द्वारा केवल तभी विचार किया जा सकता है जब अन्य पिछड़े वर्गों की सही केन्द्रीय सूची राष्ट्रपति के आदेश से प्रकाशित की जाती है। सीईएसओबी, जिसे जनवरी 2020 में सूची में सुधार करने का काम सौंपा गया है, अब तक सरकार को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दे पाया है और प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यह भी ज्ञात नहीं है कि सीईएसओबी कब तक इस कार्य को पूरा कर पाएगा और अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर पाएगा। आयोग के कार्यकाल को पहले ही जनवरी 2020 से दो बार बढ़ाया जा चुका हैं (प्रत्येक अवसर पर छह महीने) और यदि वह इसे पूरा करने और 31 जनवरी 2022 तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो इसे ओर बढ़ाने की संभावना है। सीईएसओबी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, सरकार को इसकी जांच करने और सिफारिशों को लागू करने या न करने के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए भी समय की आवश्यकता होगी। अतः कर्नाटक की कुंचितिगा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने या नहीं करने संबंधी प्रस्ताव को निकट भविष्य में निर्णय हेतु संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना नहीं है।

9. विभाग के पास उपलब्ध तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती और राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों के संबंध में कर्णाटक राज्य सरकार द्वारा कुंचितिगा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने का संबंध है, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी), जो एनसीबीसी अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा था, ने इस अनुरोध पर विचार किया था, लेकिन दिनांक 2.1.1998 के अपने परामर्श पत्र संख्या 65 कर्नाटक/98 के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला था कि "कर्नाटक के लिए पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में "कुंचितिगा" जाति / समुदाय को शामिल करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए, क्योंकि यह न तो सामाजिक रूप से और न ही शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है।"

10. उपर्युक्त को देखते हुए यह नहीं बताया जा सकता है कि कर्नाटक के कुंचितिगा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने में विलंब हुआ है। अनुरोध पर पहले विचार किया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है। भले ही तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया जाए लेकिन यह निश्चित नहीं है कि समुदाय को भविष्य में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाएगा।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28.06.2022
नई दिल्ली:

अनुबन्ध

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1927

उत्तर देने की तारीखः 03.03.2020

ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना

1927. कुमारी शोभा कारान्दलाजेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए वोक्कालिगा की एक उप जाति कुंचितिगा की सिफारिश की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में विभिन्न हितधारकों और जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य के लिए ओबीसी की केन्द्रीय सूची में उक्त उप जाति को शामिल करने के प्रस्ताव पर पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दो बार विचार किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्नाटक के लिए ओबीसी की केन्द्रीय सूची में वोक्कालिगा की एक उपजाति कुंचितिगा को शामिल करने में देरी के क्या कारण हैं;

(च) क्या नवीन अनुच्छेद 342क में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने या सूची से बाहर किए जाने का प्रावधान है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) : जी हां।

(ख) और (ग) : इस संबंध में कुल 28 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे सभी अभ्यावेदन कर्नाटक राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

(घ) : "कुंचितिगा" जाति/समुदाय को कर्नाटक राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा पूर्व में

दो बार विचार किया गया था और दोनों समय एनसीबीसी ने उनके दिनांक 20.01.1998 के मशवरा संख्या 65/97/कर्नाटक और वर्ष 2004 में मशवरा संख्या 115/2004/कर्नाटक से इस प्रस्ताव की सिफारिश न करने का निर्णय लिया था क्योंकि "कुंचितिगा" जाति/समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है।

(ड.) : संविधान के अनुच्छेद 343क(2) के प्रावधान के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी जाति अथवा समुदाय को शामिल करने अथवा बाहर करने के तौर-तरीके सरकार के विचाराधीन है और अभी इसे अंतिम रूप दिया जाना है। वोक्कालिगा की कुंचितिगा उप-जाति को एसईबीसी की केंदीय सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर उक्त तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

(च) और (छ) : संविधान (एक सौ दो वां संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। अनुच्छेद 342क में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची में समुदायों को जोड़ने अथवा हटाने का प्रावधान है।

*****

परिशिष्ट- दस

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 123

विषय: "एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास" से संबंधित दिनांक 05.12.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 2953 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 05 फरवरी 2019 को श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री से "एल बी जेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास" से संबंधित अतारांकित प्रश्न सं. 2953 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 02 नवंबर, 2021 के अपने का.ज्ञा. संख्या एल-II-ए/1937/एलएसक्यू.एन.2953/312 के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "सेंट्रल विस्टा की इमारतों की अनुमानित लागत पर कार्य किया जाना शेष है। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना अभी एक निर्माणाधीन परियोजना है और इस परियोजना के पूर्ण होने में कुछ और वर्ष लगने की संभावना है। आश्वासन में किया गया वायदा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद ही पूर्ण किया जाएगा। इसलिए, इस समय आश्वासन को पूर्ण करना संभव नहीं है।"

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28/06/2022

नई दिल्ली

अनुलग्नक

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2953
05 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास

2953. श्री मनीश तिवारी:
क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली के लुटियंस बंगला क्षेत्र (एलबीजेड) और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या दिल्ली के उक्त विरासती क्षेत्र के पुनर्विकास के प्रस्ताव का दिल्ली के यूनेस्को विश्व विरासतगत शहर बनने के आवेदन पर कोई प्रभाव पडेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई स्टेट ऑफ कंजरवेशन या विरासत प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (एचआईए) संबधी अध्ययन कराया या आरंभ किया है जो किसी विरासती क्षेत्र में हस्तक्षेप के पूर्व अपेक्षित है;

(घ) पुनर्विकसित किए जाने वाले क्षेत्र की विरासती विशिष्टता और एलबीजेड के विशिष्ट परिवेश को बनाए रखने के लिए मूल दस्तावेज में क्या प्रावधान थे; और

(ङ) उक्त पूरे पुनर्विकास कार्य की कुल अनुमानित लागत कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी हां। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के पुनर्विकास का प्रस्ताव है, जिसमें एक नए अतिरिक्त संसद भवन के साथ-साथ साझा केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1927 में किया गया था और यह 90 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है। इसकी मौजूदा सुख-सुविधाएं वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। कार्यालय स्थान की बहुत

कमी है और संसद सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्ष नहीं हैं अन्य सैंट्रल विस्टा भवन जैसे कृषि भवन, उद्योग भवन आदि स्वतंत्रता के बाद निर्मित किए गए थे । ये भवन 50 साल से अधिक पुराने हैं और कुशल कार्यालय वातावरण के लिए इन भवनों में काम करने की जगह, पार्किंग, सुविधाओं और सेवाओं की कमी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अलग-अलग स्थानों पर होने से अक्षमता आ जाती है और साझा केंद्रीय सचिवालय विकसित करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

सैंट्रल विस्टा, जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक विस्तारित दिल्ली का मुख्य मार्ग है, दिल्ली की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जगहों में से एक है। इसका उपयोग गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया जाता है और इसके लॉन और हरित स्थानों में विभिन्न अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो दुनिया के लिए राजधानी का शो-केस है। तथापि, इसमें बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं, सुविधाओं और पार्किंग का अभाव है। असंगठित विक्रेता और बेतरतीब पार्किंग, भीड़-भाड़ बढाते हैं और खराब जन धारणा बनाते है। इसलिए, सैंट्रल विस्टा के उन्नयन की आवश्यकता है।

(ख) विरासत भवनों के पुनर्विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सैंट्रल विस्टा में विरासत भवनों के पुनर्विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ.) सैंट्रल विस्टा क्षेत्र अर्थात साझा केंद्रीय सचिवालय और नए संसद भवन के साथ- साथ ही सैंट्रल विस्टा क्षेत्र के सुधार के लिए कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद इसके पुनर्विकास की लागत का आकलन किया जाएगा।

****

परिशिष्ट-ग्यारह

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 124

विषय: "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" से संबंधित दिनांक 19.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं. 385 (श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध।

****

दिनांक 19 जुलाई 2019 को श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य ने महिला और बाल विकास मंत्री से "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 385 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य ने महिला और बाल विकास मंत्री से निम्नलिखित पूरक प्रश्न पूछा:-

"हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में बाल शोषण, विशेष रूप से यौन शोषण के मामलों की संख्या में वृद्धि पर मामला दर्ज करने के संबंध में स्व प्रेरणा से कार्रवाई की। पिछले छह महीनों में, देश भर में बाल यौन शोषण से संबंधित 24,212 प्राथमिकी दर्ज की गईं जिसके कि मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए, मैं अपने माननीय मंत्री से प्रश्न पूछता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, जिन्होंने अभी तक नियमों को अधिसूचित किया जाना है।"

3. उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री मती स्मृति ज़ूबिन इरानी) ने इस प्रकार कहा:-

"मैं केवल इतना कहूंगी कि जहां राज्यों ने अभी तक अपने नियमों को अधिसूचित करना है, चूंकि जब तक केंद्रीय अधिनियम लागू होता है, मैं माननीय सदस्य की सलाह पर ध्यान दूंगी। हम उन राज्यों को सक्रिय रूप से कार्यवाही करने के लिए रहे हैं जिन्होंने ऐसा करने के लिए अपने नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। लेकिन, आश्वस्त रहें कि केंद्रीय अधिनियम तब तक ही लागू रहता है, जब तक कि राज्य अपने स्वयं के नियमों को अधिसूचित नहीं कर लें।"

4. समिति द्वारा प्रश्न के उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 08 फरवरी, 2021 के अपने का.ज्ञा. संख्या सी डबल्यू-II-18/4/2020-सी डबल्यू- II के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

"उक्त प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न तालिका 3 और 4 की अंतर्वस्तु को आश्वासन के रूप में लिया गया है। ये तालिकाएं उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण प्रदान करती हैं, जिन्होंने जे जे अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है और उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का विवरण है जो क्रमशः जे जे अधिनियम के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं।"

इस संबंध में, जे जे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जे जे अधिनियम, 2015 की धारा 110(1) के अनुसार:

"राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार उन सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में मॉडल नियम बना सकती है जिनके संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने की आवश्यकता होती है और जहां ऐसे किसी भी मामले के संबंध में ऐसे मॉडल नियम बनाए गए हैं, वे लागू होंगे जब तक राज्य सरकार द्वारा उस मामले के संबंध में नियम नहीं बनाए जाते हैं और ऐसे कोई नियम बनाते समय, वे ऐसे मॉडल नियमों के अनुरूप होते हैं।'

इस मंत्रालय ने 21 सितंबर, 2016 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम (जे जे मॉडल नियम), 2016 को अधिसूचित किया है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि किसी राज्य ने अधिनियम के तहत अलग राज्य नियमों को अधिसूचित नहीं किया है तो केंद्र द्वारा अधिसूचित नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होते हैं। यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है कि वह या तो अधिनियम के तहत अपने अलग नियम बनाएं या केंद्रीय जे जे नियम, 2016 का पालन करना जारी रखें। राज्य के नियमों को बनाए जाने के बाद राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने,महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक: 28/06/2022
नई दिल्ली

अनुबंध

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *385

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

*385. श्री थोल तिरुमावलवनः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उपबन्धों के अनुसार अपने नियम बनाने के निदेशों का अनुपालन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य नियमों को अधिसूचित किया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

*****

'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' विषय पर श्री थोल तिरुमावलवन द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *385 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण ।

(क) से (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 (1) यह अधिदेश देती है कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएगी । बशर्ते केन्द्रीय सरकार ऐसे सभी या किसी भी विषय के संबंध में मॉडल नियम बना सकती है जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं और जहां ऐसे किसी विषय के संबंध में ऐसे मॉडल नियम बनाए गए हैं, वे राज्य पर यथोचित परिवर्तनों सहित तब तक लागू होंगे जबतक कि राज्य सरकार द्वारा उस विषय के बारे में नियम नहीं बनाए जाते और ऐसे नियम बनाते समय वे ऐसे मॉडल नियमों के अनुरूप हों । राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने जेजे अधिनियम के तहत अपने स्वयं के नियमों को तैयार किया है या अधिसूचित किया है, द्वारा प्रदान किया गया विवरण संलग्न है ।

*****

अनुलग्नक

'किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' विषय पर श्री थोल तिरुमावलवन द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *385 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण ।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने जेजेएक्ट के तहत अपने नियम बनाए हैं और अधिसूचित किए हैं, द्वारा दिया गया विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विवरण
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	जेजे नियम, 2017 बनाए और 22 सितम्बर, 2017 को अधिसूचित किए
2	बिहार	जेजे नियम, 2017 बनाए और 14 जून, 2017 को अधिसूचित किए
3	झारखंड	जेजे नियम, 2017 बनाए और 13 जून, 2017 को अधिसूचित किए
4	महाराष्ट्र	जेजे नियम, 2018 बनाए और 13 मार्च, 2018 को अधिसूचित किए
5	मिजोरम	जेजे नियम, 2019 बनाए और 21 मई, 2019 को अधिसूचित किए
6	नागालैंड	जेजे नियम, 2017 बनाए और 22 मार्च, 2018 को अधिसूचित किए
7	ओडिशा	जेजे नियम, 2018 बनाए और 21 जुलाई, 2018 को अधिसूचित किए
8	पुदुचेरी	जेजे नियम, 2017 बनाए और 14 दिसम्बर, 2017 को अधिसूचित किए
9	तमिलनाडु	जेजे नियम, 2017 बनाए और 11 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किए
10	पश्चिम बंगाल	जेजे नियम, 2017 बनाए और 22 सितम्बर, 2017 को अधिसूचित किए

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने केन्द्र सरकार के नियम अपनाए हैं और अधिसूचित किए हैं, द्वारा दिया गया विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विवरण
1	चंडीगढ़	भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाया और 15 मार्च, 2017 को अधिसूचित किए
2	छत्तीसगढ़	भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाया और 7 नवम्बर, 2016 को अधिसूचित किए
3	दमन एवं दीव	भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाया और 5 दिसम्बर, 2016 को अधिसूचित किए
4	त्रिपुरा	भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाया और 6 जनवरी, 2016 को अधिसूचित किए

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने जेजेएक्ट के तहत अपने नियमों का प्रारूप बनाया हैं और जो अभी अधिसूचित किए जाने हैं, द्वारा दिया गया विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विवरण
1	हरियाणा	राज्य ने माननीय मुख्य मंत्री से अनुमोदन के बाद केन्द्र के जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाया है लेकिन ये अभी अधिसूचित किए जाने हैं ।
2	दादर एवं नागर हवेली	ड्रॉफ्ट नियम संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के विचाराधीन हैं ।
3	गोवा	नियमों को ड्रॉफ्ट कर लिया गया है और विधि विभाग को वैटिंग के लिए प्रस्तुत किए गए हैं ।
4	केरल	राज्य सरकार ने ड्रॉफ्ट मॉडल नियम तैयार किए हैं ।
5	कर्नाटक	कर्नाटक ने नियम ड्रॉफ्ट कर लिए हैं और मंत्रिमंडल को भेजे जा रहे हैं तथा उसके बाद पब्लिक डोमेन में अधिसूचित किए जाएंगे ।
6	मेघालय	राज्य सरकार ने ड्रॉफ्ट तैयार किया है और राज्य मॉडल नियम प्रस्तुत किए हैं। राज्य सरकार से अनुमोदन अपेक्षित है ।
7	पंजाब	राज्य सरकार ने ड्रॉफ्ट नियम तैयार किए हैं और ये नियम वैटिंग तथा आगामी निदेशों हेतु लीगल रिमैम्ब्रेंस (एलआर) के पास बकाया हैं ।
8	राजस्थान	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लिए राज्य के नियम अभी अधिसूचित किए जाने हैं ।

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने जेजेएक्ट के तहत अपने नियमों का प्रारूप बनाया हैं और जो अभी अधिसूचित किए जाने हैं, द्वारा दिया गया विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विवरण
1	असम	राज्य ने राज्य के नियम ड्राफ्ट करने के लिए एक समिति गठित की है ।
2	आंध्र प्रदेश	ड्रॉफ्ट किशोर न्याय मॉडल नियम प्रक्रियाधीन है ।
3	अरूणाचल प्रदेश	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
4	केरल	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
5	दिल्ली	नियम बनाने से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
6	गुजरात	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
7	हिमाचल प्रदेश	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
8	लक्षद्वीप	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
9	मध्य प्रदेश	राज्य ने राज्य के नियम ड्राफ्ट करने के लिए एक समिति गठित की है ।
10	मणिपुर	राज्य सरकार जेजे एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अपने नियम बनाने/ड्रॉफ्ट करने की प्रक्रिया में है । इस बीच, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन कर रही है ।
11	सिक्किम	राज्य मॉडल नियम बनाने की प्रक्रिया में है ।
12	तेलंगाना	ड्रॉफ्ट नियमों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।
13	उत्तराखंड	किशोर न्याय नियम राज्य नियम का प्रारूप तैयार किया गया है और अभी हितधारकों के साथ चर्चाधीन है ।
14	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा बनाए गए जेजे मॉडल नियम, 2016 को अपनाने की प्रक्रिया में है ।

(Q. 385)

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN : I got the details from the Ministry of Women and Child Development regarding the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

According to the reply of the Ministry, I came to know that there are 10 States and Union Territories, including Tamil Nadu and Puducherry, which have framed and notified their own rules under the JJ Act. Only five States and Union Territories have adopted the rules of the Central Government and notified them. But there are eight States and Union Territories which have drafted the rules under JJ Act but are yet to be notified. There are thirteen States and Union Territories which are in the process of framing rules under the JJ Act. It is really shocking to know that about 21 States and Union Territories are yet to notify the rules. It is really an injustice to the children. The Union Government enacted the Juvenile Justice Act, 2015 to provide justice to the children who are affected by various kinds of abuses and crimes.

The hon. Minister's reply clearly shows that 21 States and UTs out of 36 are yet to comply with the directions of the Act. They failed to implement the Act. This is a great injustice to the children. I request the hon. Minister to fix a time-frame for the States which are yet to notify the rules.

Recently, the Supreme Court took *suo motu* action regarding registering a case on increase in the number of child abuses, particularly sexual abuse cases, in our country. In the past six months, 24,212 FIRs were registered across the country relating to child sexual abuse cases that are on the increase. So, I raise the question to our hon. Minister as to what action has been taken by the Union Government against the States and Union Territories which are yet to notify the rules.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to tell the hon. Member, through you, that till such time, a State does not notify its own rules, the Central rules and Act applies. Hence, there will not be any child in want of justice in the absence of a State notifying its own rules. Insofar as the hon. Members observation regarding the hon. Supreme Court of India is concerned, I believe, he is quoting from the media reports which might not be substantiated. I have read the ruling of the hon. Supreme Court which seeks to get the data with regard to pendency across all districts in the country. Hence, for us, to presume that this is the number of pendency in terms of FIRs registered or investigation by the State Police or for that matter, pendency in terms of legally pending cases in court would be a presumption which is best not done. I will only say that insofar as the States which are yet to notify their rules, since the Central Act applies, I will take the concern of the hon. Member under advisement. We are actively pursuing with

the States which have not notified their rules to do so. But, be assured that the Central Act applies till such time, the State does not notify its own rules.

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Speaker Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

May I draw the attention of the hon. Minister towards the fact that the condition of juvenile justice homes, what is colloquially called remand homes, across the country, is very bad. Would the hon. Minister consider appointing a commission which can study the condition of remand homes across the country, and make certain recommendations with regard to how facilities in those remand homes could be standardised and how they could be made better?

12.00 hrs

The difficulty is that when young juveniles, who are accused of a crime are remanded to these Juvenile Justice Homes or what is colloquially called as remand homes, they come back as hardened criminals rather than being reformed. So, therefore, would the Minister consider a Commission of this sort? That is my question.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to inform the hon. Member, through you, that I, as a Minister, have already communicated with all Chief Ministers across all States in the country to look into this very aspect. That is

because given the fact that these institutions are under the jurisdiction of the State and given the mantra of cooperative federalism, you would not want to infringe on the rights of the States to look at these institutions themselves. But at the same time, I am seized of the matter and I take cognizance of the Member's angst and instead of appointing a Commission, which supersedes the rights and responsibilities of the State, we will definitely engage more productively with the States to ensure that condition in such homes is bettered.

परिशिष्ट-

बारह

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 125

विषय: "स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम" से संबंधित दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के तारांकित प्रश्न सं. 45 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध।

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से तारांकित प्रश्न सं. 45 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा:-

"माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि 90 एमसीडी में सरकार के कितने निजी अथवा पीपीपी मॉडल इनक्यूबेटर, प्रौद्योगिकी डिजाइन और सहायता केन्द्र या टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर हैं? क्या इस क्षेत्र में मुस्लिम और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए इनक्यूबेशन राशि और सहायता राशि पर राजसहायता (सब्सिडी) का प्रावधान है? क्या मंत्रालय इसके अंतर्गत मुस्लिम और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्रिज्म (पीआरआईएसएम) जैसी बड़ी योजना की तरह अनुदान निर्धारित कर रहा है?"

3. इसके उत्तर में, तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला) ने निम्नवत बताया:-

"इसका डाटा अभी तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही डाटा तैयार होगा, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से आपको भेज दूंगी और इसे सभा के पटल पर भी रख दूंगी।

जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है तो कितने अल्पसंख्यकों के पास उनके जिलों में इनक्यूबेटर हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होते ही मैं आपको भेज दूंगी।"

4. समिति द्वारा उक्त उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. इस संबंध में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 12.03.2022, 10.09.2021, 16.03.2021, 19.11.2020, 26.08.2020 और 04.04.2019 के का.ज्ञा. सं. 4-10/2016-एनएमडीएफसी(पीक्यू) के माध्यम से निम्नवत बताया है:-

"कि वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 04.10.2018 के पत्र के माध्यम से बताया है कि स्वीकृत तारांकित प्रश्न संबंधी प्रारंभिक जानकारी पहले इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि स्टैंड अप इंडिया योजना विषय पर इस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन, सरकार के निजी अथवा पीपीपी मॉडल इनक्यूबेटरों से संबंधित अनुपूरक प्रश्न न तो उस विभाग से और न ही स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण के विषय से संबंधित है; इसलिए उन्होंने इस आश्वासन के अंतरण को अस्वीकार कर दिया है। चूंकि, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अंतरण को अस्वीकार कर दिया है और आश्वासन का विषय इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस आश्वासन को छोड़ दिया जाए।"

6. उपरोक्त के दृष्टिगत, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से इस आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया है।

समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

दिनांक:- 28/06/2022
नई दिल्ली:

अनुबन्ध

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *45
उत्तर देने की तारीख : 27.04.2016

स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया

*45. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को रु. 10 लाख से एक करोड़ तक के ऋणों की गारंटी देने वाला 'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अल्पसंख्यकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने दो ऋण गारंटी निधियों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है जिससे कि बैंक ऋण देने में अनिच्छा नहीं दर्शाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का विचार भी 'स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया' योजना का हिस्सा बनने और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की तर्ज पर गारंटी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(डॉ0 नजमा ए. हेपतुल्ला)**

(क) से (ङ): सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

*****

"स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया" कार्यक्रम के बारे में श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गये तथा दिनांक 27.04.2016 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 45 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत सरकार की **"स्टार्ट अप इंडिया"** पहल देश में अभिनव–परिवर्तन और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आर्थिक प्रणाली (इको–सिस्टम) के निर्माण के लिए 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप इको–सिस्टम के विभिन्न घटकों की सहायता करते हुए अभिनव–परिवर्तन और डिजाइन के जरिए प्रगति करने के लिए स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है। कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं–

1. **साधारणीकरण और हैंडहोल्डिंग–**
   - स्व–प्रमाणन के आधार पर स्टार्टअप्स के लिए साधारण अनुपालन शासन–प्रणाली
   - अनुपालन और सूचना के आदान–प्रदान के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल लांच करना
   - इसके विकास के विभिन्न चरणों के दौरान स्टार्टअप की सहायता के लिए स्टार्टअप इंडिया हब
   - कम दरों पर फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट परीक्षण के लिए कानूनी सहायता
   - स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में ढील
   - स्टार्टअप्स के लिए तेजी से निकास

2. **वित्त–पोषण सहायता और प्रोत्साहन–**
   - 10,000/- करोड़ रु. की समग्र निधि वाली निधियों की निधि के जरिए वित्त–पोषण सहायता प्रदान करना
   - स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
   - निधियों की निधि में निवेश किए गए पूंजीगत लाभों पर कर में छूट
   - स्टार्टअप्स के लिए 3 वर्ष तक कर में छूट

3. **उद्योग–अकादमिया भागीदारी और इन्क्यूबेषन –**
   - अभिनव–परिवर्तनों को दर्शाने और सहयोग प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए स्टार्टअप मेले आयोजित करना
   - नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) कार्यक्रम के साथ अटल अभिनव–परिवर्तन मिशन (एआईएम) लांच करना
   - इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करना
   - आईआईटी मद्रास में स्थापित अनुसंधान पार्क के मॉडल पर सात नए अनुसंधान पार्क स्थापित करना
   - छात्रों के लिए अभिनव–परिवर्तन अभिकेन्द्रित कार्यक्रम लांच करना
   - इन्क्यूबेटरों में अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक इन्क्यूबेटर महा चुनौती

"स्टैंड अप इंडिया" योजना 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य ट्रेडिंग, सेवाओं या निर्माण में एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कर्जदार और कम से कम एक महिला कर्जदार को प्रति बैंक शाखा की दर से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 10 लाख रु. और 1 करोड़ रु. के बीच बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना है।

(ग): भारत सरकार ने दो ऋण गारंटी योजनाएं अर्थात स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा स्थापित की हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

(i) **स्टैंड अप इंडिया ऋण** : भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के अधीन ऋणों के लिए 2016–17 में 500 करोड़ रु. से शुरू करते हुए अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रु. की समग्र निधि के साथ एक ऋण गारंटी निधि स्थापित की है। इस निधि में अधिकतम 40 लाख की शर्त के अधीन 10 लाख रु. से अधिक और 50 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए डिफाल्ट में राशि के 80% तक के गारंटी कवर की संकल्पना है। 50 लाख रु. से अधिक और 100 लाख रु. तक की क्रेडिट सुविधा के लिए – 40 लाख रु. + डिफाल्ट में 50 लाख रु. से ऊपर की राशि का 75% बशर्ते कि डिफाल्ट में राशि की संपूर्ण ऊपरी सीमा 65 लाख रु. से अधिक न हो।

(ii) **मुद्रा ऋण** : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन प्रदान किए जाने वाले ऋणों के लिए 3000 करोड़ रु. समग्र निधि के साथ माइक्रो यूनिटों (सीजीएफएमयू) के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित की है जो डिफाल्ट में राशि के 50% तक पोर्टफोलियो आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) से (ङ): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के लिए सावधि ऋण योजना के अधीन अधिसूचित अल्पसंख्यकों को पहले ही रियायती दरों पर 30.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान करता है। एनएमडीएफसी की व्यावसायिक योजना के अधीन लक्षित समूह की स्किलिंग/रीस्किलिंग/अपस्किलिंग भी की जाती है जिससे प्रशिक्षार्थियों को रोजगार मिलता है। स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के इच्छुक प्रशिक्षार्थियों को एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजनाओं के अधीन प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के लिए एनएमडीएफसी की शैक्षिक ऋण योजना के अधीन घरेलू पाठ्यक्रम के लिए 20.00 लाख रु. और विदेश में पाठ्यक्रम के लिए 30.00 लाख रु. तक का रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है।

एनएमडीएफसी की योजनाएं अधिसूचित अल्पसंख्यकों, अर्थात् मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैनों में पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

*****

(Q.NO. 45)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, with your permission I want to ask a very pointed and specific question to the hon. Minister and I hope that she will give a specific and pointed reply to my question.

Madam, I would like to know from the hon. Minister whether it is not true that the 66th round of National Sample Survey data said that among the major religious groups, the proportion of urban households with major source of earnings as self-employment was highest for Muslims, that is, 46 per cent. The Prime Minister also said that if one can employ five people, he or she is contributing enough to the nation. Stand Up India is dedicated to women and to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people but not for minorities. My question to the hon. Minister is, how many Government's private or PPP model incubators, technology design and support centres or technology business incubators are located in 90 MCDs? Are there subsidies on incubation amount and support amount for Muslim and minority youth in this area? Is the Ministry earmarking grants like in the big PRISM Scheme for the Muslim and minority youth?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैडम, यह जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, यह अभी अनाउंस हुई है। प्रधान मंत्री ने जब वह नेशन को अगस्त में संबोधित कर रहे थे तो दो स्कीम्स की घोषणा की थी - एक स्टार्टअप इंडिया, दूसरी स्टैंडअप इंडिया और स्डटैंडअप इंडिया के अंदर स्किल की। जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, उसका मतलब है इनोवेशन। हमारे देश में इनोवेशन की कमी हो गई थी। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में हिन्दुस्तान ने नंबर दिए, न्यूमरिकल्स दिए, बहुत कुछ रिसर्च हो रही थी, मगर इनोवेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसलिए यह स्कीम शुरू की गई है और इसको अभी लांच किया गया है। इसका डैटा अभी जमा नहीं हुआ है। हमारे माननीय सदस्य ने जो सवाल किया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह मेरे मंत्रालय से ताल्लुक भी नहीं रखता है। यह डायरैक्ट दूसरी मिनिस्ट्री का सवाल है...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैडम, आपने इसको एडमिट किया है। इस क्वश्चन को आपने एडमिट किया है, यह जवाब नहीं है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: She is replying to your question. Owaisi ji, please sit down. She is not saying 'no'. Let her complete her reply.

... (*Interruptions*)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला: ओवैसी साहब, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। शान्ति से सुनिये, मैं जवाब दे रही हूं। इसे स्पीकर साहब ने एडमिट किया है, मैंने भी एडमिट किया है। मैं चाहती तो इस सवाल को भेज देती। मैंने नहीं भेजा, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं कि अभी इसका डाटा तैयार नहीं है, जैसे ही डाटा तैयार होगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी और सदन के पटल पर भी रख दूंगी। यह एक इन्नोवेटिव स्कीम है, जो प्रधानमंत्री ने सोची। हमारे प्रेसीडेंट साहब के यहां पिछले महीने एक एग्जीबीशन हुई थी और उस एग्जीबीशन में जो इन्नोवेटिव यंग साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने इन्नोवेशन बताया था। इस स्कीम के जरिये जो इन्नोवेशन होंगे, उनके हैंड होल्डिंग होगी, उनको सपोर्ट दी जायेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जायेगी, उनको इक्विपमेंट की सपोर्ट दी जायेगी, चूंकि वे इस काबिल नहीं हैं कि वे एक्सपेंसिव मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। मैं समझती हूं कि सालों के बाद इस तरह की स्कीम यहां हमारे देश में आई है और यह हमारे नौजवानों को प्रोत्साहन देगी। जवाब तो मैंने आपको इसका दिया।

जहां तक माइनोरिटी का ताल्लुक है कि कितने माइनोरिटीज़ के लोगों के डिस्ट्रिक्ट्स में इन्क्यूबेटर्स लगे हैं, उसकी मालूमात जैसे ही आती है, मैं आपको दे दूंगी।

SHRI ASADUDDIN OWAISI: My second supplementary to the hon. Minister is that one of the eligibility criteria is that the product or service should be new one or a significantly improved version of existing services or products. There are a lot of IPs generated by Muslims and minority craftsmen. An IP can be in a form of product design patent or product process patent.

I want to know whether innovation under craftsmanship and arts can be considered innovative. Are there any plans to earmark a budget or relaxation on trademark and copyright by artists and craftsmen and as per plan for tax exemption for craftsmen and related innovation by Muslims and minority youths?

There is a Part–II in the question of NMDFC. Is it true that in the 12th Five Year Plan, the total allocation made to NMDFC is only 62.9 per cent? Will the Government make it 100 per cent before the 12th Plan finishes? This is a very pointed question. But, hon. Madam, I am really shocked that the hon. Minister has

held a constitutional post. It is you who have accepted the question but not she. Thank you, Madam.

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला: आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देना चाहूंगी। जहां तक एन.एम.डी.एफ.सी. का सवाल है, एन.एम.डी.एफ.सी. की स्कीम 1994 से चल रही है। जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि पिछले दो साल से, वह सरकार जो हमसे पहले थी, उनके मंत्री ने डिमांड की थी, चूंकि केन्द्र सरकार का अंश उनकी अंश पूंजी में खत्म हो गया था। 1500 करोड़ रुपये की उनकी प्राधिकृत शेयर पूंजी थी, यह पहली सारी स्कीमें स्टार्ट अप, स्टेंड अप इंडिया के पहले की बात बता रही हूं, मेरे मंत्रालय से जब मैं यह पहले कैबिनेट के पास लेकर गई तो दो मिनट भी नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने और कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपये से 3000 करोड़ रुपये उसकी प्राधिकृत शेयर कैपीटल की। यह स्टार्ट अप और स्टेंड अप से पहले की मैं बात बता रही हूं कि एन.एम.डी.एफ.सी. के लिए दूसरी सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने सबसे पहला यह काम किया। जो आपने सवाल पूछा है, स्टार्ट अप इंडिया का, इन्नोवेशन किसी भी विषय में हो, साइंस में हो, टैक्नोलोजी में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, किसी चीज़ में भी इन्नोवेशन हो, हमारे देश ने दिशा दी है और यकीनन चाहे वे हमारे मुस्लिम आर्टीज़ंस हों, स्टार्ट अप के या दूसरे धर्म के हों, यहां हमारी सरकार धर्म की बुनियाद पर नहीं देखती है कि धर्म की बुनियाद पर किसी ने इन्नोवेशन किया।

मैं आपसे इसीलिए यह कह रही हूं कि अगर आप प्रेसिडेंट्स हाउस में उस एक्ज़ीबिशन को देखते और हमारे साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी के मंत्री, जो वहां पर मौज़ूद थे, उनसे पूछते कि कितने मुसलमान बच्चों ने भी इन्नोवेशन किया था तो आपको इसके बारे में मालूम होता। मैं आपके प्रश्न के जवाब में उन्हें मुसलमान कह रही हूं। मगर, मुझे कहना चाहिए कि हिन्दुस्तान के बच्चों ने कितना इन्नोवेशन किया था।

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया , मैं माननीय मंत्री जी से विनती करते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में भी करीब 15% माइनॉरिटीज हैं। उसमें जो युवा हैं, उनके लिए स्किल इंडिया मिनिस्ट्री, मुद्रा योजना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इत्यादि के साथ में एन.एम.डी.एफ.सी. का समन्वय करके उन्हें जो दिक्कतें आती हैं, वे जल्दी हल हो जाएं, क्या इसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगी?

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : हमारे एम.पी. ने यह जो सवाल पूछा है, मुझे मालूम है कि उनकी कंस्टीट्युन्सी में काफी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्हें आइडैंटिफाई करना पड़ता है। मेरे धर्मों के मंत्रालय में छः लोग आते हैं। हम एन.एम.डी.एफ.सी. के ज़रिए दो तरह के लोन देते हैं। एक, हम डेढ़ लाख रुपए तक का छोटा लोन देते हैं और दूसरा, हम बड़ा लोन तीस लाख रूपए देते हैं।

हमारे यहां लोन देने की प्रक्रिया है कि अर्बन एरिया में जिसकी इन्कम 1,03,000 रुपए तक हो, उन्हें हम लोन देते हैं और रूरल एरिया में जिसकी इन्कम 81,000 रुपए तक है, उन्हें हम यह लोन देते हैं, ताकि हम छोटे-छोटे लोगों के लिए, ग्रासरूट पर काम कर सकें। हमारी सरकार की धारणा अंत्योदय की है, कि बिल्कुल नीचे के स्तर पर जो लोग हैं, पहले उन्हें ऊपर लेकर आएं। एन.एम.डी.एफ.सी. के ज़रिए हम उनको लोन देते हैं। इसके पहले हम उनकी स्किलिंग करते हैं।

मैं हाउस और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, हम माइनॉरिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तक़रीबन 35,000 बच्चे ट्रेन्ड हो रहे हैं और ट्रेनिंग की प्रोसेस में हैं। ये बच्चे जब ट्रेन्ड हो जाएंगे, तो हम इन्हें नौकरी प्रोवाइड करेंगे या इनको अपना कुछ कारोबार करने के लिए एन.एम.डी.एफ.सी. से लोन देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने 'मुद्रा' योजना शुरू की है। 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' के ज़रिए हम लोगों ने उनके एकाउंट्स खुलवाए। उसमें भी माइनॉरिटी के बच्चों ने लोन लिया है। 'मुद्रा बैंक' के जरिए भी उन्हें लोन मिल रहे हैं। हम अपने बच्चों को ट्रेन्ड कर रहे हैं। इसमें अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई है। अगर उन्हें लोन लेने में किसी किस्म की दिक्कत होगी तो उसमें हमारा मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से हम माननीय महोदया जी से जानना चाहते हैं। इनसे मेरी वार्ता भी हुई है। यह एक सुनहरी योजना और सपने की तरह सामने आया है कि एस.सी., एस.टी. के स्वरोज़गार और इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इसे व्यापक बनाते हुए जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें और ओ.बी.सी. की महिलाओं को भी इसमें जोड़ने का विचार रखती है? खासकर, जो भागलपुर, बांका, बिहार शरीफ और अन्य इलाके हैं, वहां बड़े पैमाने पर हस्तकरघा उद्योग, बुनकर उद्योग बैंकों से ऋण के अभाव में बंद हो रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी का इसके लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम भी है। क्या इसे उस योजना में जोड़ने का विचार है? क्या सरकार इस योजना में भागलपुर, बांका और बिहार शरीफ को विशेष स्थान देना चाहती है?

12.00 hours

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : माननीय स्पीकर साहिबा, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। मैं हम दोनों की तरफ से और महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इन्होंने जो स्टार्ट अप और स्टैंड अप, खास तौर पर स्टैंड अप की जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसमें एस.सी.,एस.टी. जो सबसे बैकवर्ड हैं और मुस्लिम औरतों को उसमें जोड़ा है, उसमें मुस्लिम औरतें भी शामिल हैं, वैसे ही यह स्कीम औरतों के लिहाज से उनके सशक्तीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीज मुझे लगता है कि लोगों की

निगाह से निकल गई है कि 50 per cent population of this country is covered under that scheme in which every woman comes into it regardless of caste, creed and religion.

यहां कोई हमारी सरकार में विवाद नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं पिछड़ों में, एस.सी.,एस.टी. और खास तौर से महिलाएं सबसे पीछे हैं, चाहे वे मुसलमान महिलाएं हों, चाहे अपर कास्ट महिलाएं हों, महिलाएं सब पिछड़ी हुई हैं और उन महिलाओं को इस स्कीम में शामिल करके मैं समझती हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी शुरूआत की है। ...(व्यवधान) आप बांका की बात कर रहे हैं, मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात कर रही हूँ कि पूरे हिन्दुस्तान में जहाँ भी गरीबी है, चाहे वह बुनकर हों या दूसरा भी कोई काम कर रहे हों, उससे वे कवर होते हैं और महिलाओं के जरिए, आपको मैं कहूँगी ओवैसी साहब कि आप ... * के नाम पर लोन ले सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैडम, क्या कहा उन्होंने? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कोई गलत बात नहीं कही है, आप चिन्ता न करें।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सवाल ... * का नहीं है। ...(व्यवधान) अगर मैं आपके शौहर के बारे में बोलना शुरू कर दूं, तो उसका क्या मतलब है? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: She has not made any bad remark.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please take it lightly.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Just take back your words.

... (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: यह बात गलत है। मेरी ... * जिक्र क्यों होता है यहां पर?

---

* Not recorded.

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : ओवैसी साहब, नाराज मत होइए। मैंने ... * को बुरा नहीं कहा। ...(व्यवधान) No, let him understand. ... (*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप पर्सनल मत जाइए। आप और हम दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलाजी के हैं, आप पर्सनल मत जाइए। ...(व्यवधान) आप इतनी सीनियर मेंबर हैं। ...(व्यवधान)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : आप बात सुन लीजिए। मैंने आपकी वाइफ की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। ...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: कोई नहीं कर सकता है। ...(व्यवधान)

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला : मैंने नहीं करी है। आप बात सुनिए। ...(व्यवधान) ओवैसी साहब मैंने यह कहा कि औरतें इसमें कवर्ड हैं। अगर आपकी ...* इसमें लोन लेना चाहती हैं तो वे ले सकती हैं। अगर नहीं तो ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not make it an issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion ...

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Do not make it an issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav ...

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down, Mr. Owaisi.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको पसन्द नहीं है, then we will delete all these things from the records. क्यों बढ़ाते हैं?

... (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, मेरा सुझाव है कि दोनों रेफरेंसेज रिकार्ड पर नहीं आएं। ठीक है, आगे बढ़िए।

HON. SPEAKER: We will delete all the references like this. Is it okay? Do not make such things.

... (*Interruptions*)

परिशिष्ट- तेरह

लोक सभा सचिवालय

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति शाखा

ज्ञापन सं. 126

विषय: "परती भूमि विकास कार्यक्रम" से संबंधित दिनांक 11.08.2011 के तारांकित प्रश्न सं. 164 (श्री हुक्म देव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर में दिए गए आश्वासन को छोड़ने हेतु अनुरोध।

****

दिनांक 11 अगस्त 2011 को श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला और श्री संजय निरूपम, संसद सदस्यों ने ग्रामीण विकास मंत्री से "परती भूमि विकास कार्यक्रम" से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 164 पूछा। प्रश्न की विषय-वस्तु और मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अनुबंध में दिए गए हैं।

2. चर्चा के दौरान, श्री हुक्म देव नारायण यादव, संसद सदस्य ने ग्रामीण विकास मंत्री से 11 अगस्त, 2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 164 के संबंध में निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा :-

"मैं माननीय मंत्री श्री जयराम रमेश से विनमतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर हिंदी में दें क्योंकि वे अच्छी हिंदी बोलते हैं, ताकि देश के लाखों किसान उनके उत्तर को अच्छी तरह से समझ सकें। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। हमने इस मुद्दे पर डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वर्ष 1962 से 1977 तक आंदोलन किया जो यह कहा करते थे कि परती भूमि और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा और भू-सेनाको खड़ा किया जाएगा.... गरीब, सीमांत और छोटे किसानों, दलितों, वनवासियों, तथा कृषि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सम्मिलित करते हुए भूमि सेना का गठन किया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके क्योंकि भूमि को अपनी माँ मानकर वे बंजर, परती और पथरीली भूमि को कृषि योग्य बना सकते हैं और अपनी मेहनत से इसे हरे-भरे क्षेत्र में बदल सकते हैं जिससे कि देश का नव निर्माण होगा।

3. उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) ने इस प्रकार कहा:-

"माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निश्चित रूप से माननीय संसद सदस्य के सुझावों पर विचार करूंगा। मुझे याद है कि लगभग 20-25 साल पहले जब श्री राम कृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने भूमि-सेना का गठन किया था और ऐसे ही प्रयास कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी किए गए

थे। यह एक अच्छा सुझाव है। हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे कि क्या हम उसर भूमि या सोडिय (सॉडिक) भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की ओर से भूमि-सेना का गठन कर सकते हैं। लेकिन मनरेगा कार्यक्रम के मामले में, मैं कहना चाहता हूं... (व्यवधान)।"

4. समिति द्वारा उक्त उत्तर को आश्वासन माना गया था तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह आश्वासन उत्तर दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा करना था, लेकिन यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. संख्या एच-11012/2/2011-पीपीसी, दिनांक 08 फरवरी, 2012 के माध्यम से निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का अनुरोध किया था:-

"कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित भूमि-सेना के उद्देश्य, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम(आईडब्ल्यूएमपी) के ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन के लिए समर्पित एजेंसी का कार्य वाटरशेड समिति द्वारा निष्पादित कार्यों के समान हैं। वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) के तकनीकी सहयोग से वाटरशेड परियोजना को लागू करने के लिए ग्राम सभा द्वारा कम से कम 10 सदस्यों के साथ ग्राम स्तर पर वाटरशेड समिति का गठन किया जाता है। सामान्य दिशानिर्देश 2008 के अनुसार, इस वाटरशेड समिति के आधे सदस्य स्वयं सहायता समूहों (एसजीएच) और उपयोगकर्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं और गांव में भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे। डबल्यू डी टी के एक सदस्य का वाटरशेड समिति में भी प्रतिनिधित्व होगा।

चूंकि एक समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की क्रियान्वयन व्यवस्था में भूमि-सेना के समान एक एजेंसी अर्थात वाटरशेड समिति पहले से ही विद्यमान है, अतः अनुरोध है कि इस आश्वासन का लोप किया जाए।"

6. आश्वासन को छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध पर समिति द्वारा 14 जनवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया और आश्वासन को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया। समिति ने तद्नुसार 13 मार्च, 2013 को अपना सत्ताईसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया। समिति आश्वासन को छोड़ने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं थी और चाहती थी कि माननीय सदस्य के सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की जाए।

7. तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि-संसाधन विभाग) ने का.ज्ञा. संख्या एच-11012/02/2011-पीपीसी, दिनांक 21 अक्तूबर, 2020 के माध्यम से निम्नलिखित आधार पर आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया था: -

"माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित भूमि सेना का उद्देश्य गांवों के गरीब, और कमजोर युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों की श्रेणी में आने वाले गरीब किसानों, दलितों और वनवासियों, बेरोजगारों की भूमि सेना बनाना है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। 2009-10 से पूर्ववर्ती समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और 2015-16 से मौजूदा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डबल्यू डी सी – पी एम के एस वाई) के वाटरशेड विकास घटक के कार्यान्वयन के लिए, ग्राम स्तर पर समर्पित एजेंसी अर्थात वाटरशेड मौजूद है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश - 2008 (संशोधित संस्करण - 2011) के तहत, वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी) के तकनीकी समर्थन से वाटरशेड परियोजना को लागू करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों के साथ ग्राम सभा द्वारा समिति का गठन किया जाता है। इनमें से आधे सदस्य गांव में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उपयोगकर्ता समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय, महिलाओं और भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। डबल्यू डी टी का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी सदस्य होगा। समिति के विवरण से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित भूमि-सेना और वाटरशेड समिति के उद्देश्य प्रकृति में समान हैं। परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन में ग्राम स्तर के लोगों की निश्चित भागीदारी होती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2015-16 से 2020-21 (पहली तिमाही) के बीच, डबल्यू डी सी-पी एम के एस वाई के तहत 281 लाख दिनों का रोजगार सृजित किया गया हैं। इसके अलावा, आश्वासन के वर्ष यानी 2011 से योजना के तहत लगभग 72% परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं एवं कोई और नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा रही हैं। जैसा की निर्धारित है यह योजना मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।"

8. आश्वासन को छोड़ने के उपरोक्त अनुरोध पर समिति द्वारा 19 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया और आश्वासन को नहीं छोड़ने का निर्णय लिया गया। समिति ने तदनुसार 03 अगस्त, 2021 को अपना सैंतालीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) प्रस्तुत किया। समिति ने महसूस किया कि दोनों मुद्दे (भूमि सेना और वाटरशेड समिति के उद्देश्य) पूरी तरह से समान नहीं हैं और भूमि सेना का गठन करने का उद्देश्य परती/बंजर भूमि को कृषि योग्य और हरा भरा बनाना है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय इस मामले को ठोस प्रयासों के साथ आगे बढ़ाए और अपेक्षित कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभापटल पर रखे।

9. तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) ने दिनांक 1 नवंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-11012/02/2011-पीपीसी के माध्यम से निम्नानुसार बताया है: -

"प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक; पूर्ववर्ती समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई डब्ल्यू एम पी) को वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29% भाग है का विकास करने के लिए अधिदेशित किया गया है। 1970 के दशक से देश ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम(डी डी पी) और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) जैसे कार्यक्रम चलाकर इन भूमियों का विकास करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किये हैं। ये कार्यक्रम कुछ राज्यों के सीमित क्षेत्रों में सहायक परियोजनाएं थी जिनके परिणाम संतोषजनक नहीं ला सके। 1994 में, हनुमंत राव समिति ने आशयित लक्ष्यों की तुलना में इन कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन किया और वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि के विकास के लिए एक वैज्ञानिक "रिज टू वैली" परिकल्पना की अनुशंसा की। सरकार ने 2009-10 में इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

2009-10 से पूर्ववर्ती समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के कार्यान्वयन के लिए, जमीनी स्तर पर वाटरशेड समितियां बनी हुई थीं जो परियोजना कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए समर्पित थीं। ये समितियां 2015-16 से आई डब्ल्यू एम पी के पी एम के एस वाई के घटकों में से एक के रूप में समामेलन के वाद भी समान उत्साह के साथ कार्य करती रहीं। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशानिर्देश-2008 (संशोधित संस्करण-2011) के तहत, वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यू डी टी) के तकनीकी सहयोग से वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन कम से कम 10 सदस्यों के साथ ग्राम सभा द्वारा समिति का गठन किया जाता है। इनमें से आधे सदस्य गांवों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उपयोगकर्ता समूहों, एससी/एसटी समुदाय, महिलाओं और भूमिहीन व्यक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। डबल्यू डी टी का एक सदस्य वाटरशेड समिति में भी सदस्य होगा।

समिति के विवरण से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित 'भूमि सेना' और वाटरशेड समिति के उद्देश्य प्रकृति में काफी समान हैं। इसके अलावा, जैसा कि हनुमंत राव समिति ने अनुशंसा की थी, वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमि के विकास की प्रक्रिया वैज्ञानिक है और इसके लिए जीआईएस आधारित प्रबंधन की आवश्यकता है। पूर्व में डी डी पी, डी पी ए पी और आई डब्ल्यू डी पी के अनुभव यह बताते हैं कि ईमानदार प्रयासों और सरकारी व्यय की बजाय छिटपुट प्रयास से इच्छित

परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, योजना दिशानिर्देशों ने परियोजना कार्यों की आयोजना और कार्यान्वयन में ग्राम स्तर के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 से 2021-22 (दूसरी तिमाही) के बीच डब्ल्यू डी सी-पी एम के एस वाई के तहत 373.27 लाख दिनों का रोजगार सृजित किया गया हैं।

उक्त विवरणों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्षा सिंचित और अवक्रमित भूमियों के विकास संबंधी दिशा-निर्देश स्थानीय समुदाय के लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार 'भूमि सेना' के गठन की अवधारणा उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, आश्वासन के वर्ष अर्थात 2011 से योजना के तहत 81% से अधिक परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 2014-15 के बाद कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। वैसे भी डब्ल्यू डी सी-पी एम के एस वाई की स्वीकृत योजना अवधि मार्च, 2021 में समाप्त हो गई है। यही नहीं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमआरडी) के अनुमोदन से बैच IV और V के लिए सितंबर, 2021 तक विस्तारित परियोजना अवधि भी समाप्त हो गई है।"

10. उपरोक्त के दृष्टिगत मंत्रालय ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के अनुमोदन से समिति से उपर्युक्त आश्वासन को छोड़ने का पुनः अनुरोध किया है ।

समिति के पुनःविचारार्थ प्रस्तुत।

नई दिल्ली
दिनांक: 28/06/2022

अनुबंध-VI

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 164

(जिसका उत्तर गुरुवार, 11 अगस्त, 2011/ 20 श्रावण,1933 (शक) को दिया जाना है)

परती भूमि विकास कार्यक्रम

*164. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
श्री संजय निरूपम

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार और राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी रही है तो वह क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य राज्य-वार/ संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया ;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी परती तथा अवक्रमित भूमि का विकास किया गया तथा इससे कितना रोजगार सृजित हुआ ; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को कितनी धनराशि स्वीकृत तथा आबंटित की गई और उनके द्वारा कितनी राशि उपयोग में लाई गई ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री जयराम रमेश)

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2011 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र0 सं0 164 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक परियोजनाओं को वाटरशेड आधार पर स्वीकृत किया जाता था। कार्यक्रम के मांग-आधारित होने के कारण राज्य-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे। गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों के संबंध में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियां **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य-वार एजेंसियां, जिन्हें कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, **अनुबंध-II** पर दर्शायी गई हैं।

(घ) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित की गई कुल बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि तथा इससे सृजित रोजगार को दर्शाते हुए राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2011 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र0सं0 184 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के संदर्भ में राज्य-वार उपलब्धियां
(* 31.07.11 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र0सं0	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1	आंध्र प्रदेश	34.35	12.20	0.94
2	बिहार	5.71		
3	छत्तीसगढ़	13.82	8.42	0.26
4	गोवा			
5	गुजरात	23.69	15.74	
6	हरियाणा	3.84	5.58	
7	हिमाचल प्रदेश	13.52	16.95	3.83
8	जम्मू व कश्मीर	11.21	2.28	
9	झारखंड	3.07	1.30	
10	कर्नाटक	35.34	17.42	2.06
11	केरल	3.20	6.98	
12	महाराष्ट्र	37.56	38.27	1.24
13	मध्य प्रदेश	28.90	12.40	1.17
14	उड़ीसा	27.45	25.29	11.06
15	पंजाब	2.90	2.09	1.26
16	राजस्थान	22.53	7.92	1.12
17	तमिलनाडु	11.22	13.61	0.27
18	उत्तर प्रदेश	46.38	8.45	1.59
19	उत्तराखंड	7.60	15.64	2.33
20	प0 बंगाल	5.46	3.52	
पूर्वोत्तर राज्य				
21	अरुणाचल प्रदेश	26.68	26.80	1.41
22	असम	21.52	13.36	4.05
23	मणिपुर	10.97	15.43	2.21
24	मेघालय	15.95	25.80	1.06
25	मिजोरम	36.70	28.01	1.32
26	नागालैण्ड	7.50	0.44	
27	सिक्किम	8.45	1.84	0.86
28	त्रिपुरा	0.39		
	योग	465.91	325.74	38.06

टिप्पणी : यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2011 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र0सं0 164 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

राज्य-वार एजेंसियां जिन्हें समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) का कार्यान्वयन सौंपा गया है

क्र0सं0	राज्य	नोडल विभाग
1	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
2	बिहार	ग्रामीण विकास विभाग
3	छत्तीसगढ़	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
4	गोवा	ग्रामीण विकास विभाग
5	गुजरात	ग्रामीण विकास विभाग
6	हरियाणा	ग्रामीण विकास विभाग
7	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
8	जम्मू व कश्मीर	ग्रामीण विकास विभाग
9	झारखंड	ग्रामीण विकास विभाग
10	कर्नाटक	वाटरशेड विकास विभाग
11	केरल	स्थानीय स्व-शासन विभाग
12	मध्य प्रदेश	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
13	महाराष्ट्र	ग्रामीण विकास विभाग
14	उड़ीसा	कृषि विभाग
15	पंजाब	ग्रामीण विकास विभाग
16	राजस्थान	ग्रामीण विकास विभाग
17	तमिलनाडु	कृषि विभाग
18	उत्तर प्रदेश	भूमि विकास तथा जल संसाधन विभाग
19	उत्तराखंड	ग्रामीण विकास विभाग
20	प0 बंगाल	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरूणाचल प्रदेश	ग्रामीण विकास विभाग
22	असम	ग्रामीण विकास विभाग
23	मणिपुर	ग्रामीण विकास विभाग
24	मेघालय	मृदा संरक्षण विभाग
25	मिजोरम	ग्रामीण विकास विभाग
26	नागालैण्ड	भूमि संसाधन विकास विभाग
27	सिक्किम	वन, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण विभाग
28	त्रिपुरा	कृषि विभाग

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2011 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र0सं0 164 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-III

सृजित रोजगार को दर्शाते हुए गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत विकसित की गई बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं0	राज्य का नाम	विकसित की गई बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि (लाख है0)			सृजित रोजगार (श्रम दिवस) लाख में		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	आंध्र प्रदेश	6.43	4.71	7.24	27.78	23.22	22.54
2	बिहार	0.90	0.94	0.88	8.06	14.77	13.86
3	छत्तीसगढ़	0.40	0.34	0.18	30.26	19.75	10.41
4	गोवा	असूचित	असूचित	असूचित	0.03	असूचित	असूचित
5	गुजरात	0.54	0.71	0.53	8.25	10.25	7.13
6	हरियाणा	0.06	0.04	0.02	1.06	0.49	0.17
7	हिमाचल प्रदेश	0.43	0.39	0.37	9.15	9.59	8.94
8	जम्मू व कश्मीर	असूचित	असूचित	असूचित	2.78	4.71	असूचित
9	झारखंड	0.12	0.14	0.13	2.51	2.03	1.81
10	कर्नाटक	0.60	0.51	0.48	28.41	24.54	18.28
11	केरल	0.09	0.05	0.08	3.10	1.93	2.80
12	महाराष्ट्र	0.17	0.75	0.60	23.87	52.35	42.57
13	मध्य प्रदेश	1.09	0.65	0.36	63.37	40.03	असूचित
14	उड़ीसा	0.35	0.52	0.48	11.05	14.76	12.94
15	पंजाब	0.06	0.04	0.03	0.08	0.06	0.04
16	राजस्थान	0.84	0.55	0.26	50.21	23.81	8.13
17	तमिलनाडु	0.15	0.04	0.07	25.67	14.92	9.20
18	उत्तर प्रदेश	1.25	0.85	0.27	66.77	44.55	11.13
19	उत्तराखंड	0.32	0.33	0.25	16.20	14.23	8.59
20	प0 बंगाल	0.07	0.07	0.12	5.63	5.81	3.54
पूर्वोत्तर राज्य							
21	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.24	0.23	5.91	9.22	13.37
22	असम	असूचित	असूचित	असूचित	0.19	0.21	0.27
23	मणिपुर	0.19	0.24	0.13	27.63	34.21	17.44
24	मेघालय	0.18	0.35	0.49	25.03	69.26	112.45
25	मिजोरम	0.01	0.004	0.002	36.66	36.14	35.57
26	नागालैण्ड	0.40	0.15	0.01	18.00	7.00	0.72
27	सिक्किम	0.03	0.02	0.07	0.90	0.55	1.86
28	त्रिपुरा	0.01	0	0.004	0.56	-	0.16
	कोड	14.91	12.634	13.206	493.12	478.39	363.92

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 11.08.2011 को पूछे जाने वाले तारांकित प्र0सं0 164 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-IV

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई और उपयोग में लायी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां			उपयोग में लाई गई निधियां		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	आंध्र प्रदेश	44.43	34.35	12.20	32.64	36.04	33.44
2	बिहार	7.32	5.71	0	6.73	6.74	4.26
3	छत्तीसगढ़	30.44	13.82	8.42	25.71	19.45	12.25
4	गोवा	0	0	0	असूचित	असूचित	असूचित
5	गुजरात	31.86	23.69	15.74	27.05	35.68	26.73
6	हरियाणा	4.28	3.84	5.58	4.98	3.46	2.75
7	हिमाचल प्रदेश	23.48	13.52	16.95	24.71	22.93	18.79
8	जम्मू व कश्मीर	4.55	11.21	2.28	असूचित	11.60	असूचित
9	झारखंड	8.41	3.07	1.30	7.58	7.18	3.25
10	कर्नाटक	46.02	35.34	17.42	31.91	36.66	30.18
11	केरल	11.46	3.20	6.98	6.20	3.76	5.60
12	महाराष्ट्र	28.76	37.56	38.27	24.95	45.52	34.95
13	मध्य प्रदेश	60.44	28.90	12.40	65.47	39.12	22.19
14	उड़ीसा	33.54	27.45	25.29	20.74	31.28	28.64
15	पंजाब	3.60	2.90	2.09	2.93	2.09	1.65
16	राजस्थान	45.26	22.53	7.92	52.36	34.02	15.67
17	तमिलनाडु	34.60	11.22	13.61	32.70	16.55	13.93
18	उत्तर प्रदेश	70.58	46.38	8.45	78.74	50.36	17.42
19	उत्तराखंड	24.64	7.60	15.64	18.33	19.06	16.03
20	प0 बंगाल	7.14	5.46	3.52	5.03	6.65	8.28
पूर्वोत्तर राज्य							
21	अरूणाचल प्रदेश	32.27	26.68	26.80	12.90	14.26	13.85
22	असम	38.93	21.52	13.36	0.72	0.65	0.55
23	मणिपुर	11.18	10.97	15.43	11.13	14.69	7.75
24	मेघालय	9.42	15.95	25.80	11.65	17.31	24.06
25	मिजोरम	26.50	36.70	28.01	29.65	38.98	19.02
26	नागालैण्ड	27.53	7.50	0.44	25.20	9.98	0.99
27	सिक्किम	2.60	8.45	1.84	2.33	1.44	4.84
28	त्रिपुरा	1.58	0.39		1.03	-	0.28
	योग	670.82	465.91	325.74	563.37	525.46	367.35

टिप्पणी: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में नहीं है।

(Q. No. 164)

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पड़ती भूमि और मरुभूमि से संबंधित है जो ऐसी भूमि है जिस पर किसी तरह की खेती नहीं हो सकती, और न ही किसी तरह की वनस्पति वहाँ उत्पन्न हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यह योजना 2012 में समाप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत जितनी भूमि उपचारित की गई है, उस भूमि के आगे रख-रखाव की इस योजना में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से एक साथ दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आगे भविष्य में यह योजना बंद न हो, इसके साथ-साथ आपने 195 जिले इस योजना के अंतर्गत लिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस योजना को पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? साथ ही, जिस जिले को आपने लिया है, उसके सारे ब्लॉक इसमें शामिल नहीं किए गए हैं? ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों को आपने लिया है, उन जिलों के साथ-साथ क्या सारे ब्लॉक्स को इसमें शामिल करेंगे और मध्य प्रदेश के क्या सारे जिलों को इस योजना में शामिल करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a question on the Integrated Wasteland Development Programme. I want to mention to the hon. Member that today the Government of India runs one programme called 'Integrated Watershed Development Programme' which integrates the Integrated Wasteland Development Programme, the Desert Development Programme and the Drought Prone Areas Programme. There is no such thing as an Integrated Wasteland Development Programme today. The flagship programme is the Integrated Watershed Development Programme which brings together all the three old programmes, that is, the Wasteland Development Programme, Drought Prone Areas Programme and the Desert Development Programme.

I want to assure the hon. Member that this is an on-going programme. We are sanctioning projects under this programme. So, there is no question of this programme stopping in 2012. These projects will continue.

Today there are about 36 million hectares in India which are considered cultivable wasteland. In the year 2000, the amount of land that was considered to be cultivable wasteland was about 51 million hectares. So, in the last ten years, about 15 million hectares of cultivable wasteland has been made cultivable. Our objective is that all these 36 million hectares should be made cultivable.

In this context, I want to mention, Madam, one of the great success stories in this country has been the *Usar* Land or Sodic Land Reclamation Programme in Uttar Pradesh where over the last ten years, in the ten districts of Central Uttar Pradesh, almost 180,000 hectares of *usar* land or sodic land has been reclaimed benefiting almost 370,000 small and marginal farmers.

So, I wish to assure the hon. Members that under the Integrated Watershed Development Programme, his concerns on deserts and drought-prone areas, particularly in Madhya Pradesh and Rajasthan, will be taken into account.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिन जिलों को आपने लिया है, क्या उसमें सारे ब्लॉक्स को शामिल करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के सारे जिलों को आप इसमें शामिल करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, the blocks for which proposals are prepared by the State Government will automatically be included.

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, इकॉनामिक रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल वेस्ट लैण्ड 638 लाख हेक्टेयर है। इंटीग्रेटिड वेस्ट लैण्ड डेवपलमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे पास केवल 32 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक चमत्कार हुआ है। लेकिन सच यह है कि टारगेट नहीं बताया गया है कि वेस्ट लैण्ड को डेवलप करने के लिए कितना टारगेट भारत सरकार ने तय किया है। दूसरी बात, मैं यह देख रहा हूं कि फण्ड एलोकेशन लगातार कम होता जा रहा है। आपके सवाल के जवाब में ही सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11, लेकिन वर्ष 2010-11 की बात आप 31 जुलाई तक की ही कह रहे हैं। रोज़गार सृजित करने की व्यवस्था भी लगातार कम होती जा रही है। एरियावाइज़ कवरेज भी लगातार कम हो रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि यह बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मैं यह जानना चाहा था कि अचीवमेंट क्या है? सच यह है कि मंत्री महोदय के विस्तृत जवाब में, जिसमें तमाम आंकड़े और फिगर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद

महसूस होता है कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सच यह है कि इस स्कीम को सरकार बहुत गंभीरता से न लेते हुए, फण्ड एलोकेशन, रोज़गार सृजन और एरिया कवरेज़, हर मामले में कम होता चला जा रहा है। इस मामले में मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा।

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a large number of questions.

First, whether the allocation under the programme has actually gone down. The numbers tell a different story. In 2009-2010, the allocation for the Integrated Watershed Development Programme was about 1800 crore. In 2010-2011, it was about 2500 crore.

SHRI SANJAY NIRUPAM : The question is related to Wasteland Development of this country.

SHRI JAIRAM RAMESH: There is no such Wasteland Development Programme.

MADAM SPEAKER: Let him reply. Let him reply.

SHRI JAIRAM RAMESH: If you had heard my answer, I have said that there is no such thing as an Integrated Wasteland Development Programme.

SHRI SANJAY NIRUPAM : You have replied about that question.

MADAM SPEAKER: Let him complete his answer.

SHRI JAIRAM RAMESH: Hon. Member, listen to me. There was an Integrated Wasteland Development Programme. In 2009, the Integrated Wasteland Development Programme, the Drought Prone Areas Programme and the Desert Development Programme were all integrated into one single Integrated Watershed Management Programme. The objective of the Integrated Watershed Management Programme is to make wastelands of this country cultivable through a watershed approach. I have already mentioned that the rough area which is classified as cultivable wastelands in 2010 is about 36 million hectares. In 2000, it was about 51 million hectares. In the last ten years about 15 million hectares has been treated. Every year, we are bringing about one and half million hectares of wasteland under cultivation.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक श्री जय श्रीराम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं तो कृपया मेरे प्रश्न का जवाब हिन्दी में देंगे तो देश के लाखों-करोड़ों किसान आपकी भाषा अच्छी तरह समझ जाएंगे।

मेरा प्रश्न सीधा है। डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक हम लोग इस पर आंदोलन करते थे और कहा करते थे कि 'उसर, बंजर आबाद करेंगे, भूमि सेना का निर्माण करेंगे।' जो हमारे गांव के निर्धन, निर्बल, गरीब किसान हैं, सीमान्त और लघु किसान की श्रेणी में हैं, दलित और वनवासी हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन कृषि क्षेत्र के नौजवानों की भूमि सेना बनाना, उनके हाथ में रोजगार देना, उनको रोजगार भी मिलेगा और वे अपने श्रम से पसीने से जो धरती को माता समझते हुए उन्हें लगाव है तो इस देश की सभी उसर, बंजर, पथरीली भूमि को आबाद करके हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं तो इस योजना को उस रूप में लागू करने में क्या सरकार विचार करेगी जिससे कि देश की सम्पूर्ण उसर, बंजर, और पथरीली भूमि को हरियाली में परिवर्तित करके देश में एक नवनिर्माण कर सके।

श्री जयराम रमेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद के जो सुझाव हैं, इस पर ज़रूर विचार करूंगा। मुझे याद है कि 20-25 वर्ष पहले कई राज्य सरकारों ने, खास तौर से जब श्री राम कृष्ण हेगड़े जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वहां भूमि सेना की स्थापना की गयी थी और अलग-अलग राज्यों में भी यह प्रयास किया गया था। यह सुझाव अच्छा है। उसर और बंजर भूमि के हरियाली के कार्यक्रम में क्या हम ऐसा केन्द्र सरकार की ओर से भूमि सेना की स्थापना कर सकते हैं, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। किन्तु मनरेगा कार्यक्रम में मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

I want to use this opportunity of saying what the Leader of the Opposition has said about NREGA is completely wrong. In fact, there is clear evidence to show that under NREGA agricultural wages have gone up. Area under cultivation has gone up. About 68 per cent of the works under MNERGA are for water conservation and for *Haryali* which the hon. Member is talking about. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Question Hour is over.

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दसवीं बैठक

(04.07.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा सं 'सी', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
3. श्री कौशलेन्द्र कुमार
4. श्री अशोक महादेवराव नेते
5. श्री एम.के. राघवन
6. श्री चंद्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	निदेशक
3. श्री कृष्ण सी. पाण्डेय	-	उप सचिव

XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि यह बैठक (i) 03 मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने; (ii)

22 लंबित आश्वासनों को छोड़ने और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोधों वाले 20 ज्ञापनों पर विचार करने और (iii) लंबित आश्वासनों के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी गई है।

2. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
3. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

4. तत्पश्चात, समिति ने 22 आश्वासनों वाले उक्त 20 ज्ञापनों (ज्ञापन संख्या 107 से 126 तक) से संबंधित आश्वासनों को छोड़ने या न छोड़ने हेतु विचारार्थ लिया। कुछेक ज्ञापनों पर विचार करने के पश्चात समिति ने माननीय सभापति को शेष ज्ञापनों पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया। तत्पश्चात, सभापति ने निर्णय लिया कि अनुबंध-एक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13 आश्वासनों को छोड़ दिया जाए तथा अनुबंध-दो* में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शेष 09 आश्वासनों पर संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आश्वासनों को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाए।

5. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
6. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
7. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
8. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

अनुबंध-एक

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022) द्वारा 04.07.2022 की अपनी बैठक में छोड़े गए आश्वासनों को दर्शाने वाला विवरण-

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय/ विभाग	संक्षिप्त विषय
1	109	अता.प्र.सं. 1399 दिनांक 24.11.2016	विद्युत	विद्युत प्रशुल्क
2	110	अता.प्र.सं. 359 दिनांक 03.02.2021	नीति आयोग	केन्द्रीय निवेश
3	112	ता.प्र.सं.343 दिनांक 12.12.2019	जल शक्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)	सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र
4	113	(i) अता.प्र.सं. 6810 दिनांक 07.05.2015 (ii) ता.प्र.सं.237 दिनांक 02.08.2018	नीति आयोग	(i) समेकित ऊर्जा नीति (ii) नई ऊर्जा नीति
5	117	अता.प्र.सं. 1303 दिनांक 28.06.2019	महिला और बाल विकास	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
6	118	अता.प्र.सं. 1628 दिनांक 04.05.2016	रेल	रेलवे द्वारा डीजल और विद्युत की खपत
7	119	दिनांक 19.03.2021 को विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर सामान्य चर्चा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा
8	121	अता.प्र.सं. 1927 दिनांक 03.03.2020	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करना

क्रम सं	ज्ञापन सं	प्रश्न/चर्चा संदर्भ	मंत्रालय/ विभाग	संक्षिप्त विषय
			(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)	
9	123	अता.प्र.सं. 2953 दिनांक 05.12.2019	आवासन और शहरी कार्य	एलबीजेड और सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास
10	124	ता.प्र.सं.385 दिनांक 19.07.2019 (श्री थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	महिला और बाल विकास	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
11	125	ता.प्र.सं. 45 दिनांक 27.04.2016 (श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	अल्पसंख्यक मामले	स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया
12	126	ता.प्र.सं. 164 दिनांक 11.08.2011 (श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न)	ग्रामीण विकास (भूमि संसाधन विभाग)	परती भूमि विकास कार्यक्रम

परिशिष्ट - पन्द्रह

कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दूसरी बैठक

(20.12.2022)

समिति की बैठक 1500 बजे से 1545 बजे तक समिति कमरा संख्या 216, (सभापति कक्ष), 'बी' ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. श्री निहाल चन्द चौहान
3. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
4. श्री खगेन मुर्मु
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री एम.के. राघवन
7. श्री चन्द्र शेखर साहू

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख	संयुक्त सचिव
2. डॉ. (श्रीमती) सागरिका दास	निदेशक
3. श्री महेश चन्द गुप्ता	उप सचिव
4. श्रीमती विनीता सचदेव	अवर सचिव

सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें उस दिन की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित पांच (05) प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और इन्हें बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया:-

(एक) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किए गए)' विषय से

संबंधित प्रारूप 74वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(दो) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 75वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(तीन) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार किये गये)' विषय से संबंधित प्रारूप 76वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा);

(चार) 'आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)' विषय से संबंधित प्रारूप 77वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा); और

(पांच) 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' विषय से संबंधित प्रारूप 78वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

2. समिति ने माननीय सभापति को चालू सत्र के दौरान प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (2021-2022)*
की संरचना

श्री राजेन्द्र अग्रवाल - सभापति

सदस्य

2. प्रो. सौगत राय**
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री नलीन कुमार कटील
6. श्री रमेश चन्द्र कौशिक
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री संतोष पान्डेय
10. श्री एम.के.राघवन
11. श्री चंद्र शेखर साहू
12. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
13. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
14. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. डॉ. सागरिका दास - निदेशक
3. श्री एम. सी. गुप्ता - उप सचिव
4. श्री संजीव कुमार गुलाटी - समिति अधिकारी

---

*समिति का गठन 09 अक्तूबर, 2021 से किया गया है, देखिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2021 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 3202

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय के दिनांक 01 जून, 2022 को त्याग पत्र देने के कारण समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया, देखिए दिनांक 06 जून, 2022 के लोक सभा समाचार भाग - दो का पैरा सं. 4711